मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
1	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	अनुसंधान और विकास अधिनियम	–	अनुसंधान परियोजनाओं के कियान्वयन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदेष के प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का अक्षय दोहन करते हुए प्रदेष का सर्वांगीण विकास है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रदेष के वैज्ञानिकों की कार्य क्षमता विज्ञान का विकास करते हुए उनके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सहायता मिलती है तथा प्रदेष के शोध संबंधी किया कलापों को प्रोत्साहन मिलता है।	परिषद् द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं का कियान्वयन प्रदेष स्थित सभी विष्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है।	परिषद् को प्रतिवर्ष अनुसंधान परियोजनाओं के प्रस्ताव विभिन्न विष्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों से नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं। सर्वप्रथम इन परियोजनाओं का प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है। यदि परियोजना की प्रस्तावित धनराषि एक लाख रूपये तक सीमित है अथवा किसी प्रकार के तत्कालिक महत्व के प्रस्ताव शीघ्रातिषीघ्र परियोजना पर निर्णय लिया जाता है। विस्तृत एवं वृहद् परियोजनाओं के लिए प्रमुख अध्येता से प्रस्तुतीकरण कराया जाता है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विषेषज्ञ समूह की अनुशंसा को दृष्टिगत् रखते हुए परिषद् द्वारा परियोजना की स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय लिया जाता है।	सभी जिले	–	परिषद् द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं का कियान्वयन प्रदेष स्थित सभी विष्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
2	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	जीवन के स्तर में सुधार के लिये विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग	–	योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नानुसार है :– • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित संस्थाओं एवं फील्ड समूहों को सुदृढ़ करना। • योजनाओं में आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढाना। • कौषल विकास हेतु प्रषिक्षण कार्यकम। • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेष हेतु स्थानीय आवष्यकताओं एवं क्षेत्रों की पहचान करना। • शोध, डिजाइन, कम लागत की तकनीक एवं नवीन तकनीकी के विकास हेतु सहयोग। • ग्रामीण उद्योगों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करना। • योजना से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क विकसित करना। • न्वीन तकनीकी को संस्थाओं से लाभान्वितों तक पहुंचाना।	इन उद्देष्यों की पूर्ति हेतु अलग अलग लक्ष्य समूहों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यकमों को कियान्चित करने की आवष्यकता है। उन्नत तकनीकी का प्रदर्षन, तकनीकी ज्ञान, कौषल में वृद्धि आदि ऐसे बिन्दु हैं जिनके जरिये व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सकता है। परिषद् द्वारा लक्ष्य समूह एवं क्षेत्रों की पहचान के आधार पर इस योजना का कियान्वयन किया जा रहा है।	क्लस्टर विकास हेतु प्राथमिक तौर पर छह जिलों में कार्य प्रारम्भ किया गया हैं यह जिले हैः शहडोल, बैतूल, जबलपुर, सतना, मुरैना और सिवनी। क्लस्टर विकास हेतु वर्तमान वर्ष में अन्य जिलों में भी कार्यकम प्रारंभ किये जायेगें। क्लस्टर विकास गतिविधि में दूरगामी प्रभाव हेतु कार्यशाला का आयोजन, स्व सहायता समूह अथवा अन्य चयनित समूहों का प्रशिक्षण/तकनीकी प्रदर्शन एवं उपयोग, मार्केटिंग तथा पैकेजिंग की व्यवस्था किया जाना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं कारीगरों हेतु उनकी आवश्यकतानुसार क्लस्टर विकास प्रारम्भ किया जायेगा। (ख) इस प्रावधान की राशि का उपयोग मुख्यतः नेटवर्किंग एवं संगठनात्मक क्षमता–वर्धन हेतु किया जायेगा। लक्ष्य–समूह के अनुरूप अन्य कार्यकम साथ में संलग्न करके प्रति क्लस्टर 10 लाख तक की राशि हो सकती है।	सभी जिले	–	• शासकीय / अशासकीय/ स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम सें निम्न कार्यकमों का आयोजन किया जाएगा। • जागरूकता कार्यकमः • स्वसहायता समूह एवं अन्य ग्रामीणजनों हेतु प्रशिक्षण कार्यकमः • कम लागत की तकनीक का प्रदर्शनः

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विज्ञान का लोकप्रियकरण	–	भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा पृथ्वी गृह से संबंधित विषय वस्तु को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है :– • वायुमण्डल और जलवायु • महानगर एवं उनका विकास • पृथ्वी की आंतरिक संरचना –सतह से कोर तक • मृदा पृथ्वी की जीवंत सतह • प्रकृति बचाये – भविष्य संवारे • आधुनिक प्रदूषण रहित तकनीक • पारिस्थितिकीय संतुलन • स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण • जैव – विविधता संरक्षण • सभी के लिए भू विज्ञान उपरोक्त पहलुओं से जानकारियां देष के भावी विद्यार्थियों, अध्यापकों, किसानों एवं सामान्यजन को बताना इस कार्यकम का उद्देष्य है।	इसकी रूप रेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मध्य प्रदेष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को एक दो दिवसीय बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी । इसका आयोजन 18 एवं 19 जनवरी 2007 को परिषद् में किया गया। इसमें देष के सभी राज्यों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं अन्य विज्ञान कार्यो से संबंधित संस्थाओं के उच्च अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान पृथ्वी ग्रह अभियान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और एक रूप रेखा सभी राज्यों को तैयार करने को कहा गया। पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अनावष्यक दोहन करने के परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी हो रही है, और तापमान बढ़ रहा है। उसके कारण पराबैगनी किरणों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है, अतः इसकी जानकारी देष के विद्यार्थीगण, अध्यापकगण, किसान एवं सामान्य जन को बताने की आवष्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए नर्मदा तट पर 14 से 22 अप्रेल तक एक विषाल प्रदर्षनी एवं अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। यह अभियान वर्ष 2009 तक जारी रहेगा।	इस योजना के कियान्वयन के लिये प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से पृथ्वी ग्रह से संबंधित जागरूकता कार्यकम करने हेतु प्रस्ताव आंमत्रित किये जायेगें।इन प्रस्तावों का मूल्यांकन परिषद् द्वारा गठित कार्यदल एवं विशेषज्ञ समूह की सहायता से सम्पन्न कराया जायेगा।	सभी जिले	–	(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संस्थागत अन्वेषणों को पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ग्रामीण एवं गैर संस्थागत अन्वेषणों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार एवं प्रषस्ति पत्र दिया जाता है । व्यक्तिगत पुरस्कार संस्थागत पुरस्कार राशि रूपये में राषि रूपये में प्रथम 50000/– 100000/– द्वितीय 30000/– 50000/– तृतीय 20000/– 30000/– योग 100000/– 180000/– पुरस्कार वितरण आयोजन 100000/– संग्रहण एवं प्रालेखन 100000/– (ब) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कार चयन समिति के मतानुसार जिस व्यक्ति ने मानव ज्ञान और विकास के क्षेत्र में विशेष मौलिक/व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय योगदान दिया हो उसे पुरस्कार प्रदान किया जाता 1. पं. जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार तीन 3.00 लाख 2. राज्य स्तर के पुरस्कार तीन 1.50 लाख 3. पुरस्कार वितरित करने हेतु आयोजन पर खर्च 2.50 लाख

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
4	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	रिमोट सेन्सिंग	–	उद्देश्य 1. परिषद् में आंतरिक/बाह्य, कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न विषयों की ट्रेनिंग हेतु एक 30 कम्प्यूटर युक्त कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना। 2. वर्तमान परिसर, नये परिसर, आवासीय परिसर में इंटरनेट सुविधा हेतु नेटवर्किंग/वाइ, फाई की स्थापना। 3. परिषद् में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में जरूरी साफ्टवेयर/एन्टी वाइरस को खरीदना व उपलब्ध कराना। 4. एस.एस.डी.आई. में मदद करना। 5. एक सेन्ट्रल ई–स्टोर (सभी पत्रों की साफ्ट कापी) व एम.आई.एस. की स्थापना करना। 6. नई वेबसाइट का निर्माण 7. अन्य	भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजकर उपग्रह चित्र निरन्तर प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा राज्य के विकास में सहायता देने हेतु तथा प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिकीय प्रबंधन संबंधी गतिविधियों एवं योजना कार्यक्रमों में सुदूर संवेदन चित्रों एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) तकनीकों का उपयोग करते हुए म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अंतर्गत वर्ष 1984 में राज्य–स्तरीय सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र ने, स्थापना के पष्चात् अल्पावधि में ही उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए कई राष्ट्रीय महत्व के परियोजनाओं को पूर्ण किया है। इस केन्द्र द्वारा तैयार किये गये मानचित्रों का मध्यप्रदेष शासन के कई विभागों/संस्थाओं जैसे कृषि, वन, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व, नर्मदा घाटी विकास विभाग इत्यादि–द्वारा अपने विकास कार्यों में, उपयोग किया जा रहा है। विगत् वर्षों में सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र ने म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भविष्य में भी यह केन्द्र म. प्र. के प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण एवं प्रबंधन में अत्यन्त उपयोगी साबित हो सकता है	तकनीकी सहयोग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन व आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी. से लिये जायेंगे।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र की स्थापना	–	• बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रचार प्रसार एवं विष्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, उद्योगों एवं शासकीय विभागों को मॉग के आधार पर पेटेंट सर्च की सुविधा उपलब्ध करवाना।• पेटेंट सूचनाओं का परीक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी संस्थाओं को नयी योजनाओं के निर्धारण में सहायता देना।• बौद्धिक सम्पदा की नीतियों पर शोध विकास अध्ययन आयोजित करना।• अन्वेषकों को उनके कार्य का पेटेंट दिलवानें हेतु मार्गदर्षन करना।• प्रदेष में उपलब्ध बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा के उपाय करना।• विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा पेटेन्ट केअधिकारों के प्रति अधिकाधिक लोगों को जागरूक किया जाना।• पेटेन्ट सूचना केन्द्र से संबंधित सभी जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना।• प्रदेष के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को नये अन्वेषण करने हेतु प्रोत्साहन करना। उनके अन्वेषणों को पेटेन्ट कराने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करना।• प्रदेष के हित में किये जा रहे अन्वेषणों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाओं को उनका अन्वेषण कार्य पूरा करने हेतु तथा उसका पेटेन्ट हासिल करने हेतु उन्हें शासन से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उनकी अनुषंसा करना।• प्रदेष के उत्कृष्ट पेटेन्ट अन्वेषणों को पुरूस्कार प्रदान करने हेतु राज्य शासन से अनुरोध करना।	भारत को भी बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों की रक्षा हेतु कठोर प्रणाली की आवष्यकता है जिससे वह प्रतियोगी बाजार में अपने आप को जीवित रख सके। नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफेक) के द्वारा आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के साथ म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में पेटेन्ट सूचना केन्द्र की स्थापना कर एक नई दिषा में कदम उठाया गया है।	• भारत के अन्य राज्यों के पेटेन्ट सूचना केन्द्र • अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संस्थाएं • गैर सरकारी संगठन एवं जन सामान्य • बौद्धिक संपदा के अधिकार पर कार्यषाला एवं षिविर आयोजित करना। • व्याख्यान आयोजित करना। • प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रदर्षनी आयोजित करना। • विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा पेटेन्ट के अधिकारों के प्रति अधिकाधिक लोगों को जागरूक करना। • प्रदेष के सुदूर क्षेत्रों, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों तथा महिला आबादी बहुल क्षेत्रों में पेटेन्ट से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना। • युवा विद्यार्थियों तथा ग्रामीण कौषल्य को प्रोत्साहित करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।	सभी जिले	–	• राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट आंकड़ा खोज हेतु (लगभग 100 व्यक्तियों को) सुविधा प्रदान करना • राज्य के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं युवा प्रतिभाओं को नई खोज करने हेतु एवं खोजों का पेटेन्ट कराने हेतु (लगभग 50 व्यक्तियों को) प्रोत्साहित करना • युवाओं एवं छात्रों को पेटेन्ट के क्षेत्र में (जैसे पेटेन्ट एजेन्ट, पेटेन्ट एट्रानी एवं पेटेन्ट सलाहकार आदि) अपना केरियर बनाने हेतु (लगभग 50 व्यक्तियों को) प्रोत्साहित करना • प्रदेष की छात्राओं एवं महिलाओं को टाइफेक, नई दिल्ली द्वारा जारी महिला वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत अपना भविष्य बनाने हेतु (लगभग 50 महिलाओं को) प्रोत्साहित करना

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
6	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग केन्द्र	–	प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विद्यार्थियों, शोधार्थियों, उद्यमियों एवं कृषकों को इसकी विभिन्न विधाओं में सक्षम बनाना।	परिषद् का जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता केन्द्र वर्ष 1995–96 से कार्यरत है। केन्द्र ने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से एक ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशाला स्थापित की है जिसमें बच, बांस, खम्हार, ब्राम्ही, सर्पगंधा व आर्टीमीसिया जैसे पौधों के ऊतक संवर्द्धन पर शोध एवं विकास के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जीवाणु खादों एवं कीटनाशकों के विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन पर भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त खुंबी (मशरूम) व उच्च गुणवत्ता वाले बिस्कुटों के उत्पादन की ग्रामीण स्तर की तकनीकी के विकास व उस पर जागरूकता कार्यकम भी आयोजित किए गए हैं। इस हेतु परिषद् के भोपाल परिसर की प्रयोगशाला के अतिरिक्त औबेदुल्लागंज में भी एक ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशाला व वनौषधि/जैव विविधता फार्म कार्यरत है। ☐ साल में चार जागरूकता सह– कार्यषाला का आयोजन करना। ☐ प्रषिक्षण सह–प्रदर्षनी का साल में चार बार आयोजन करना। ☐ समाचार पत्रिका का प्रकाषन। ☐ ।नकपव.टपकमव का निर्माण एवं उसके द्वारा जन साधारण में औषधीय कृषि एवं उत्पाद के प्रति जागरूकता लाना।	प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शोध विकास संस्थानों के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाएं एवं संबधित विभाग, प्रदेश सरकार के जैव–प्रौद्योगिकी वन एवं कृषि विभाग तथा प्रदेश की औद्योगिक संस्थाएं/इकाईयों के अतिरिक्त स्वंयसेवी संस्थाएं। संप्रति परिषद् द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र तथा उक्त उपयोगिता केन्द्र आपसी समन्वय से कार्य करेंगें। इस हेतु उपरोक्त लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 16 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यकम प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त 15 शोध एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को अनुसंधान द्वारा डिसर्टेषन में सहायता प्रदान की जाएगी।	सभी जिले	–	–
7	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	जिलावार प्राकृतिक संसाधन जानकारी का डिजिटलीकरण	–	इस परियोजना का मुख्य उद्देष्य प्रदेष के समस्त जिलों हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित प्राकृतिक संसाधन जैसे– भूमि उपयोग, भूजल, मृदा, कृषि, वन आदि एवं सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर स्थानिक (स्पेषियल) एवं अस्थानिक (नॉन स्पेषियल) आंकडों का ग्रामवार डेटाबेस तैयार करना एवं आवष्यकता अनुसार डेटाबेस का अद्यतन करना है।	भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा वर्ष 1996 में राष्ट्रीय (प्राकृतिक) संसाधन सूचना प्रणाली (एन.आर.आई.एस.) का विकास करने का निर्णय लिया गया था। इस परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेष के तीन जिलों– झाबुआ, दतिया तथा सीधी – के एन.आर.आई. एस. जिला नोड तैयार किये गये थे। इन जिला नोड की उपयोगिता को देखते हुए प्रदेष के सभी जिलों के लिए एन.आर.आई.एस. जिला नोड तैयार करने का निर्णय लिया गया था।	–	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	जैव प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र	–	इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य जहां एक ओर कृषि एवं वन आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण तथा जैविक खेती एवं पंचगव्य आधारित उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु बहुविध प्रयास करना है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी आधारित स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, उद्योग एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस दिषा में अभी तक प्रदेष के अलग अलग विभागों द्वारा कई योजनाएं एवं छुटपुट प्रयास चल रहे हैं। परिषद् में भी इस दिषा में कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। यह केन्द्र इन सब प्रयासों के बीच समन्वय बनाने का भी प्रयास कर रहा है।	तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जुलाई 2006 में मार्गदर्षन को दृष्टि में रखते हुए मध्यप्रदेष में जैव प्रौद्योगिकी का एक उत्कृष्टता केन्द्र प्रारंभ किया गया है।	इन प्रयासों से प्रदेष में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का केन्द्र स्थापित होगा। इस वर्ष केन्द्रीय प्रयोगषाला के सक्रिय होने के साथ–साथ कम से कम पांच समन्वित शोध विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करना है। प्रदेष में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास हेतु सक्षम मानव संसाधन के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु इस वर्ष कम से कम 09 प्रषिक्षण कार्यषालाएं भी आयोजित करना है।		–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
9	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मध्यप्रदेश मानव संसाधनों की मिशन उत्कृष्टता	–	केन्द्र सरकार और म.प्र. शासन के साथ ही अन्य संस्थाओं की योजनाओं एवं प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखतें हुये उत्कृष्टता मिषन कार्यक्रम विकसित किया गया है। इसके तहत प्रति वर्ष 2.00 लाख विद्यार्थियों एवं युवाओं में उत्कृष्टता, नवाचार एवं उद्यमित्ता को प्रोत्साहित किया जायेगा।	म.प्र. के युवाओं में उत्कृष्टता, नवाचार एवं उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना में एक विषेष योजना प्रारम्भ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की बजट मांगों पर विधानसभा में चर्चा का समापन करते हुए वर्ष 2007 में यह घोषणा की थी कि उत्कृष्टता मिषन का शुभारंभ किया जायेगा तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 10 लाख विद्यार्थियों एवं युवाओं को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया जायेगा। वर्ष 2009–10 में इसे जारी रखते हुये प्रावधान किया जा रहा है।	☐ उत्कृष्टता मिषन हेतु परिषद में मानव संसाधन समूह के अंतर्गत एक विषेष प्रकोष्ठ "उत्कृष्टता मिषन प्रकोष्ठ" कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ का कार्य सभी संबंधित एजेन्सियों से सम्पर्क, संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए विस्तृत योजनाएं बनाना तथा इसका समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिष्चित करना होगा। ☐ उत्कृष्टता मिषन के महत्व एवं 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य दृष्टि में रखते हुए सक्षम एजेन्सियों अथवा प्रतिष्ठित विषेषज्ञों को इस मिषन से जोड़ा जायेगा।	–	–	म.प्र. के तकनीकी संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में नवाचार शोध एवं अनवेषण को प्रोत्साहन दिया जायेगा एवं 17 सितम्बर, 2008 को 200 विद्यार्थियों की विषेष यात्रा आरम्भ की जायेगी जो चुने हुये शोध–विकास संस्थानों आदि की यात्रा करेंगे। ☐ राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों से 2.00 लाख विद्यार्थियों में से विज्ञान उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुये चयनित 100 मेधावी विद्यार्थियों को वर्ष 2009–10 विषेष छात्रवृति विज्ञान मंथन यात्रा के तहत प्रदान की जायेगी। वर्ष 2008–09 के लिये विज्ञान मंथन यात्रा में 250 विद्यार्थियों के चार समूह (कुल 1000 विद्यार्थी) में देष के चार विभिन्न अंचलों का दौरा करने हेतु चयन किया जायेगा। ☐ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले म.प्र. के विद्यार्थियों को विषेष प्रोत्साहन तथा अच्छा प्रदर्षन करने वालो को विषेष पुरस्कार व छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह स्कूली विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों पर लागू होगी। ☐ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों स्वसहायता समूह की महिलाओं एवं कारीगरों में दक्षता में प्रोत्साहन तथा प्रमाणीकरण/मान्यता प्रदान करने हेतु एक विषेष यात्रा "सृजन यात्रा" का आयोजन किया जायेगा।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
10	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	पारम्परिक ज्ञान के वैज्ञानिक वेलीडेशन का अभिलेखीकरण	–	मध्यप्रदेष जैव विवधता एवं परम्परागत ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत समृद्व है। प्रदेष के परम्परागत ज्ञान का विषेष रुप से स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन पर्यावरण एवं वानकी इत्यादि क्षेत्रों में विषेष महत्व है। विष्व व्यापार संगठन की मुक्त व्यापार संबधी अनुषंसाएं हमारे देष पर भी लागू होती है, ऐसी स्थिति में यह आवष्यक हो गया है, कि न केवल हम अपने परम्परागत ज्ञान का संरक्षण करें बल्कि इस परम्परागत ज्ञान का प्रौधोगिकी विकास, नये रोजगारों के सृजन एवं औद्योगिकरण के क्षेत्र में उपयोग किया जावे। इसके लिए सर्वप्रथम आवष्यक है कि इस ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए इसका वैज्ञानिक सत्यापन करते हुए व्यवस्थित प्रलेखन किया जाय, इससे हमारे इस देषज ज्ञान को मान्यता मिलेगी इस योजना के कियान्वयन से मुख्य रुप से ग्रामीण एवं आदिवासी जन समुदाय लाभान्वित होगा ओर इसके साथ–साथ नए–नए उत्पाद एवं प्रकिया का भी विकास होगा इस ज्ञान के प्रलेखीकरण एवं सत्यापन से बायोपायरेसी (जैव ज्ञान की चोरी) को भी रोका जा सकेगा, तथा अवांछित पेटेट पर देष विदेष में रोक लगाई जा सकेगी।	विभिन्न विष्वविद्यालय षोध संस्थान एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के नेटवर्क से वैज्ञानिक सत्यापन हेतु अनुसंधान कार्य । परिषद् द्वारा परम्परागत/ देषज ज्ञान के प्रस्ताव विभिन्न विष्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त किये जावेंगे। सर्वप्रथम इन परियोजनाओं का प्रारंभिक परीक्षण किया जावेगा। यदि प्रस्ताव मापदण्डों को पूर्ण करते हैं तो अगली प्रकिया के रूप में इन प्रस्तावों को विषय विषेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराया जावेगा। तत्पष्चात पारदर्षिता के वातावरण में विषेषज्ञ समूह का गठन कर प्रमुख अध्येता से परियोजना प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण कराया जावेगा तथा अनुशंसा अनुसार प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा।	साधारणतः परियोजना स्वीकृति की अवधि एक वर्ष तक से लेकर तीन वर्ष निर्धारित की जावेगी। विषेषज्ञों द्वारा परियोजना की आवष्यकता एवं सहयोगी संस्थाओं की अधोसरंचना को ध्यान रखते हुए परियोजना अवधि का निर्धारण किया जावेगा। इसी प्रकार प्रगति प्रतिवेदन का परीक्षण भी विषय विषेषज्ञों से कराया जावेगा।	–	–	

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
11	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	तकनीक बिजनेस इंकूबेटर की स्थापना	--	इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे उद्योग व उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अनुसंधान का आधार उपलब्ध कराना है जो कि अनुसंधान एवं विकास के बिना अव्यवहार्थ/मृतप्राय होने के खतरे का सामना कर रहे है। आवश्यक तकनीकी सहयोग मिलने से जीविका उपार्जन सुगम व संरक्षित रहेगा। योजनान्तर्गत विशिष्ट कार्यक्रम एवं उनके लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये है। • ग्रामीण क्षेत्र में किसान, कारीगर एवं महिलाओं से सम्बद्ध प्रौद्योगिकीयों का व्यवसायीकरण (वर्ष में लगभग चार कार्यक्रम) • आदिवासी क्षेत्र में वनोपज तथा वन्यसंरक्षण से संबंद्ध प्रौद्योगिकियों का चिन्हन एवं व्यवसायीकरण (कुल 2 कार्यक्रम) • बिन्दु क. 3 में उल्लेखित संस्थानों का नेटवर्क एवं समन्वयन।	षिक्षित युवा एवं कुषल कारीगरों के ज्ञान का उन्नयन कर उन्हें योग्य बनाकर नौकरी के अवसरों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु टी. बी. आई. की स्थापना हुई। इस योजना के अंतर्गत ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है जो स्वयं के उद्योग लगा सकें तथा सम्पूर्ण जानकारी देना है जो स्वयं के उद्योग लगा सकें तथा सम्पूर्ण जानकारी/ज्ञान एवं विष्वास के साथ सफल उद्यमी बन सकें। इस गतिविधि की मूल अवधारणा के कियान्वयन के लिए कार्ययोजना तथा कार्यस्तर पर विशेषज्ञों को चिन्हीत किया जावेगा । ऐसे उद्योग एवं उद्यमियों को चिन्हीत किया जावेगा जिन्हें अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है तथा जिनमें योजना बनाने की क्षमता का अभाव है ।	☐ योलना के अर्न्तगत समाल के कमजोर तबके के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसान, कारीगर एवं महिलाओं से संबंधित प्रौद्योगिकी का तकनीकी प्रर्दशन एवं व्यवसायिकीकरण किया जायेगा, इस तरह के वर्ष में लगभग 4 कार्यकम आयोजित किये जायेंगें । ☐ अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले अंचलों में लद्युवनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उन्नयन तथा वन संरक्षण सें संबंधित प्रौद्योगिकीयों को चिन्हित एवं व्यवसायीकरण किया जायेगा, इस हेतु 2 कार्यक्रम की योजना है । ☐ ज्ञान के परिर्माजन एवं विकास हेतु सहयोगी तथा सहभागी संस्थाओं के मध्य नेटवर्किंग स्थापित करते हुए समन्वयन किया जायेगा । इस गतिविधि के अर्न्तगत ऐसी तकनीकी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों की पहचान की जायेगी, जो प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में संलग्न है तथा विशेषज्ञों को चिन्हीत करते हुए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी ।	--	--	--

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
12	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	अविष्कार का दस्तावेजीकरण व ट्रांसकिपसन तथा ग्रामीण पारम्परिक ज्ञान	–	विभिन्न भाषा में उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य का अनुसृजन कर सुलभ रूप से समझी जा सकने वाली भाषा अथवा दृष्य एवं श्रृव्य माध्यम में आमजन को उपलब्ध कराना। ग्रामीण परम्परागत जानकारी को हिन्दी एवं अग्रेजी में आवष्यकतानुसार प्रालेखित कर सुरक्षित करना, बौद्विक संपदा संरक्षण सुनिष्चित करना, ग्रामीण अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके अन्वेषणों को प्रालेखित करते हुए उपयोग में लिया जाना।	आधुनिक विज्ञान की नई विधाओं जैसे : सूचना प्रौद्योगिकी , जैव प्रौद्योगिकी, नेनो टेक्नॉलाजी इत्यादि विषयों का मूल विषयवस्तु केवल अंग्रेजी या अन्य विदेषी भाषाओ में ही उपलब्ध है, जिसका कि लाभ ग्रास रूट लेबल अथवा कस्बों एवं ग्रामीण परिवेष के लोगों को नहीं मिल पाता ,जिसकी वजह से विज्ञान के इन अग्रणी क्षेत्रों में ना ही उनकी जानकरी बढ़ पाती है और ना ही वे इस विषय पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि जब तक विषय को अच्छी तरह या सहज रूप मे न समझा जाये विषय पर गंभीरता से कार्य नहीं किया जा सकता और आधुनिक विज्ञान का लाभ जन सामान्य को नहीं पहुँचाया जा सकता। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण विधाओं को हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसृजन करने की योजना परिषद द्वारा शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेष में उपलब्ध ऐसा ज्ञान या विषय वस्तु जिसे विधिवत् लिपिबद्ध अथवा व्यवस्थित नहीं किया जा सका है उसका प्रालेखन किया जायगा।	प्रदेष के वैज्ञानिक षिक्षाविद्, शोधसंस्थान, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। परिषद् द्वारा अनुसृजन एवं प्रलेखन के प्रस्ताव विभिन्न विष्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त किये जावेंगे। सर्वप्रथम इन परियोजनाओं का प्रारंभिक परीक्षण किया जावेगा। यदि प्रस्ताव मापदण्डों को पूर्ण करते हैं तो अगली प्रकिया के रूप में इन प्रस्तावों को विषय विषेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराया जावेगा। तत्पष्चात पारदर्षिता के वातावरण में विषेषज्ञ समूह का गठन कर प्रमुख अध्येता से परियोजना प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण कराया जावेगा तथा अनुशंसा अनुसार प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
13	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	तारामंडल की स्थापना, उज्जैन में वेद्यशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना	–	तारामंडल एवं खगोलीय वेधशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान संबंधी विभिन्न पहलूओं तथा पूरे वर्ष घटित होने वाली विभिन्न खगोलीय घटनाओं का अध्ययन एवं अनुसंधान है । इसके अतिरिक्त जनसामान्य के लिए आकाश दर्शन कार्यक्रम का समय समय पर घटित खगोलीय घटनाओं के समय आयोजन किया जायेगा ।	एक लंबे समय से प्रदेश के विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों तथा जनसामान्य द्वारा तारामंडल एवं खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस की जा रही है । यद्यपि आंचलिक विज्ञान केन्द्र भोपाल द्वारा अत्यन्त सीमित संसाधनों से मात्र आकाशदर्शन का कार्यक्रम कभी कभी कियान्यित किया जाता है, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौधोगिकी परिषद् द्वारा विज्ञान में शोध एवं प्रचार–प्रसार की अन्य गतिविधियों के साथ प्राचीन वेधषाला एवं उज्जैन/डोंगला पर विषेष ध्यान केन्द्रित किया गया हैं । उ उज्जैन/डोंगला में कर्क रेखा एवं याम्योत्तर रेखा का कटाव बिन्दु होने की वजह से खगोल शास्त्र में इस स्थान का वैज्ञानिक महत्व है। वेधषाला में स्थापित शंकु यंत्र, नाड़ी, वलय यंत्र, इत्यादि के द्वारा दिन,समय,ग्रह, नक्षत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्राचीन वैधषाला में उपरोक्त यंत्रो के अलावा आधुनिक रुप देने हेतु टेलिस्कोप तथा आवष्यक सामग्री उपलब्ध कराने की दिषा में परिषद् द्वारा विचार–विमर्ष किया गया है। डोंगला/उज्जैन के समीप एक छोटा सा गांव है।, जिसका महत्व काल गणना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परिषद् यहां आधुनिक खगोलीय वेधषाला की स्थापना हेतु गंभीरतापूर्वक विचार कर रही हैं ।	इस सुविधा की स्थापना में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से सहयोग के अतिरिक्त प्रदेश के स्कूलों के साथ नेटवर्किंग किया जायेगा क्योंकि उच्चशिक्षा के साथ साथ स्कूली छात्रों के लिए भी इस सुविधा का बहुत महत्व है । ।खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयीन स्तर के छात्रों हेतु अलग समय का निर्धारण किया जायेगा । इस विषय में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों की सहायता से शोध छात्रों का चयन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए समूह जैसे– युवा स्कूली छात्रों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जोड़े जायेगें एवं खगोलीय घटनाओं की समीक्षा एवं जागरूकता विकसित की जाये तथा इन घटनाओं से जुड़े अंधविश्वासों को समाप्त किया जा सके । खगोलीय अध्ययन में शोर की कमी तथा पर्यावरण–प्रदुषण विषयों को भी शामिल किया जायेगा ताकि उपरी वायुमण्डल में प्रदुषण की स्थिति का जायजा लिया जा सके । खगोलीय घटनाओं से जुड़े अंधविश्वास को दूर करने में आकाश दर्शन का कार्यक्रम अत्यन्त लाभकारी होगा ।	सभी जिले	–	–
14	लोक शिक्षण	निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना	–	11 वीं पचंवर्षीय योजना में 9 वी कक्षा की बालिकाओं जो कि किसी अन्य गांव में स्थित विद्यालय में शिक्षा लेने जाती है, को निःशुल्क सायकिल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है । शासन द्वारा वर्ष 2006–07 से इस योजना का लाभ सभी वर्ग की बालिकाओं को देने का निर्णय लिया गया है ।	–	इस हेतु वर्ष 2009–10 में 1,88,615 बालिकाओं को प्रति हितग्राही 2400/– की दर से इसके लिये 4525.00 लाख रूपये प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
15	लोक शिक्षण	आई.सी.टी स्कूल	–	स्कूल केन्द्र प्रवितिर्त योजना आई.सी. टीस्कूल लागू किया है । 1500 हायर सेकेण्डरी स्कूल में लागू करने के लिये राज्यांश 468.00 लाख का प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	–	उपलब्ध नही	सभी जिले	–	–
16	लोक शिक्षण	नियमित कर्मचारियों का वेतन	–	नियमित कर्मचारीयों एवं प्राचार्यो का वेतन व्यय अर्थात 1548 हाईस्कूल एवं 342 हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्यो संविदा लिपिक एवं अन्य नैमेत्तिक कार्य के लिये के वेतन भत्तों का 11 वीं पंचवर्षीय योजना से किया जायेगा ।	–	इस हेतु वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 6289. 20 लाख वार्षिक योजना में राशि प्रस्तावित की गई है ।	सभी जिले	–	–
17	लोक शिक्षण	हाईस्कूलों का भवन निर्माण (सक्सेस योजना)	–	हाईस्कूल के भवन हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना नबबमे से भवन निर्माण का कार्य किया जाना है । (25 प्रतिशत राज्यांश एवं 75 प्रतिशत केन्द्रांश) स्कूलों का भवन एवं अतिरिक्त कमरे हेतु के आधार पर किया जाये । राज्य सरकार ने नितिगत निर्णय लिया है तथा उन्ही हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को उन्नयन करें जिससे राज्य योजना के बजट में वित्तीय प्रावधान कर्मचारी एवं भवन हेतु हो ।	–	वर्ष 2008–09 की तरह वर्ष 2009–10 में वार्षिक योजना में राशि रूपये 2250.00 लाख (राज्यांश) प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–
18	लोक शिक्षण	विद्यालयों में सूचना संचार प्रोद्योगिकी योजना	–	ग्रामीण क्षेत्रों के हायर सेकेंडरी स्कूलों को केन्द्र परिवर्तित योजना आई.सी.टी./स्कूल में सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है । सूचना प्रोद्यौगिकी को शिक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिये हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में आई.टी.ई.एल.एल.योजना का कियान्वयन 11 वीं योजना में रखा गया है।	ग्रामीण क्षेत्रों के हायर सेकेंडरी स्कूलों को केन्द्र परिवर्तित योजना आई.सी.टी./स्कूल में सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है । इस योजना में प्रति यूनिट 5.00 लाख का उपयोग किया जायेगा । जिसमें 25 प्रतिशत जन भागीदारी है ।	अतः इस हेतु वर्ष 2008–09 के लिये 100 लाख का प्रावधान किया गया था । इसी प्रकार भी वर्ष 2009–10 के लिये भी 100 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
19	लोक शिक्षण	बालरंग महोत्सव	–	आयोजन के मुख्य उददेश्य सास्कृतिक आयोजनों द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, अखण्डता , देशप्रेम की भावना जाग्रत करना तथा उन्हे सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना विभिन्न अंचलों तथा प्रान्तों की सस्कृति से बच्चों को परिचित कराना बालकों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करना बालकों के चतुर्दिक विकास हेतु आधारभूमि तैयार करना स्कूली बच्चों के लिये लोकनृत्य,गीत और सृजनात्मक कला के प्रदर्शन आदी में भाग लेते है । वार्षिक योजना 2009–10 में बालरंग पर रूपये 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है ।	वर्ष 2009–10 में यह प्रावधान रखा गया है कि स्कूली बच्चों का आयोजन सभी आसपास के देश जैसे नेपाल, बाग्लादेश, श्रीलंका, पंजाब, भूटान, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, थाईलेण्ड , सिगांपुर आदि को भी सम्मिलित कर इस आयोजन को अंन्तराष्ट्रीय बनाया जायेगा । अपने देश के रीति रिवाजों के रूप मं मित्रता को दर्शाते 10–15 स्कूली बच्चे तथा उनके साथ गाईट कोच को बुलाया जावें । आज के परिपेक्ष्य में जन सारा संसार एक साझा गांव बन गया है । तब भारत के सभी प्रदेशों तथा आस पडोस के देशों से कुछ छात्र–छात्राये इस आयोजन में भाग ले तो यह भाईचारे एंव आपसी समझ एवं भाइचारे की भावना को शक्ति प्रदान करेगा ।	वार्षिक योजना 2009–10 में बालरंग पर रूपये 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	वर्ष 2009–10 में यह प्रावधान रखा गया है कि स्कूली बच्चों का आयोजन सभी आसपास के देश जैसे नेपाल, बाग्लादेश, श्रीलंका, पंजाब, भूटान, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, थाईलेण्ड , सिगांपुर आदि को भी सम्मिलित कर इस आयोजन को अंन्तराष्ट्रीय बनाया जायेगा । अपने देश के रीति रिवाजों के रूप मं मित्रता को दर्शाते 10–15 स्कूली बच्चे तथा उनके साथ गाईट कोच को बुलाया जावें । आज के परिपेक्ष्य में जन सारा संसार एक साझा गांव बन गया है । तब भारत के सभी प्रदेशों तथा आस पडोस के देशों से कुछ छात्र–छात्राये इस आयोजन में भाग ले तो यह भाईचारे एंव आपसी समझ एवं भाइचारे की भावना को शक्ति प्रदान करेगा । वार्षिक योजना 2009–10 में बालरंग पर रूपये 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है ।
20	लोक शिक्षण	योग नीति का क्रियान्वयन	–	योग के स्कूलों में प्रोत्साहित करने हेतु योगा नीति 2007 के स्कूल में लागू किया गया है ।	इस योजना में शिक्षक छात्रों के प्रशिक्षण राज्य योग बोर्ड की स्थापना, योगा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को पुरूस्कार एवं योगा महोत्सव इत्यादि को सम्मिलित किया गया है ।	वार्षिक योजना 2009–10 में 50 लाख रूपये योगनीति के क्रियान्वयन हेतु रखे गये है ।	सभी जिले	–	–
21	लोक शिक्षण	ग्रंथालय का सुदृढीकरण	–	–	–	वार्षिक योजना 2009–2010 में 150.00 लाख रूपये ग्रंथालय के सुदृढीकरण हेतु रखे जाना प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–
22	लोक शिक्षण	कृषि विद्यालयों का सुदृढीकरण	–	कृषि विद्यालयों को उनके अधोसंरचना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग तथा मशीनों के डेव्हलप्मेंट हेतु तथा इन विद्यालयों का सुदृढीकरण	म.प्र. में 25 विद्यालय ऐसे है । जिनमें 5–35 एकड़ जमीन हैं ऐसे कृषि विद्यालयों को उनके अधोसंरचना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग तथा मशीनों के डेव्हलप्मेंट हेतु तथा इन विद्यालयों में बनाने हेतु वार्षिक योजना वर्ष 2009–2010 में 10 लाख प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	वार्षिक योजना वर्ष 2009–2010 में 10 लाख प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
23	लोक शिक्षण	शैक्षिक अभ्युत्थान	–	विघालयों की निरंतर मॉनिटरिंग एवं इमप्रेशन के परिणाम स्वरूप विद्यालयों का परीक्षा परिणाम उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में है ।	विघालयों की निरंतर मॉनिटरिंग एवं इमप्रेशन के परिणाम स्वरूप विद्यालयों का परीक्षा परिणाम उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में है । आज शा. विघालयों का रिजल्ट प्रायवेट स्कूलों की तुलना में अधिक हो गया है । जिला स्तरीय अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण से यह संभव हो पाया है । इस हेतु 5 वीं एवं 8 वीं बोर्ड फीस द्वारा वसूली जा रही राशि का उपयोग किया जा रहा था परन्तु 5 वीं , 8 वीं बोर्ड समाप्त कर दिया गया है ।	अतः निरीक्षण हेतु प्रति जिला 5.90 लाख के हिसाब में 339.50 लाख का प्रावधान वार्षिक योजना वर्ष 2008–09 में किया गया है । जिसका विवरण निम्नानुसार है । 1. किराये पर व्हीकल लेने हेतु 20 हजार/जिला स्तर पर 10 महिनों के लिये कुल 86 लाख 2. 30 रिसोर्स परसन के प्रशिक्षण हेतु 40 हजार रूपये प्रतिजिला कुल 129 लाख 3. सी.डी चार्ट तथा अन्य शिक्षण सामग्रियों का निर्माण 2.40 लाख प्रति जिला कुल 103. 20 लाख । 4. कम्प्यूटर व स्टेशनरी हेतु 50000/जिला स्तर पर 21.50 लाख । अतः वर्ष 2009–10 में भी राशि रूपये 339.50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।	सभी जिले	–	–
24	लोक शिक्षण	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण	–	ारीरिक शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु किया गया है।	म0प्र0 में शारीरिक शिक्षा का एक मात्र कालेज शिवपुरी में है । जिसमें कि महिला प्रशिक्षुओं हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं है । तथा कई खेलों हेतु भी मैदान एवं व्यवस्थाये नहीं है इस हेतु 105 लाख का वार्षिक बजट वर्ष 2009–10 में प्रावधानित किया गया है । जिसमें एथलेटिक बैच का निर्माण फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट के मैदान जिम तथा स्वीमिंग पूल (वाटर स्पोर्टस) और महिला प्रशिक्षुओं हेतु होस्टल का निर्माण किया जायेगा । इस हेतु अन्य विभागों में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ।	वार्षिक योजना वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 250.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।	सभी जिले	–	–
25	लोक शिक्षण	मोगली उत्सव	–	–	मोगली उत्सव का साल में एक बार आयोजन किया जाता है । इस हेतु फोरेस्ट तथा अन्य कार्पोरेशन द्वारा वित्तीय मदद कि जाती थी	अतः रूपये 10 लाख इस हेतु वार्षिक आयोजना वर्ष 2009–2010 में प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
26	लोक शिक्षण	असिस्टेंस फॉर वर्ड वॉचिंग केम्प भोपाल	–	पर्यावरण के उचित ज्ञान के लिये प्राकृतिक वातावरण में पाये जाने वाले पशु–पक्षियों को देखने के लिये वर्ड वॉचिंग केम्प इत्यादि का आयोजन किया जाना है ।	पर्यावरण के उचित ज्ञान के लिये प्राकृतिक वातावरण में पाये जाने वाले पशु–पक्षियों को देखने के लिये वर्ड वॉचिंग केम्प इत्यादि का आयोजन किया जाना है ।	इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।	सभी जिले	–	–
27	लोक शिक्षण	महर्षि पातंजली संस्कृत संस्थान की स्थापना	–	संस्कृत शिक्षण तथा संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत शिक्षा के स्कूलों में होने वाली गतिविधियों	महर्षि पातंजली संस्कृत संस्थान के अधिनियम 2007 के अन्तर्गत म.प्र. में एक संस्थान की स्थापना की जा रही है जो कि संस्कृत शिक्षण तथा संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत शिक्षा के स्कूलों में होने वाली गतिविधियों में सम्बधं रहेगा ।	वित्तीय वर्ष 2009–10 में महर्षि पंताजली संस्कृत संस्थान हेतु 30.00 लाख रूपये प्रावधान हेतु प्रस्तावित है ।	सभी जिले	–	–
28	लोक शिक्षण	हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन निर्माण	–	–	–	हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 7000.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।	सभी जिले	–	–
29	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	हाथकरघा विकास योजना	–	हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व–सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना ।	हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व–सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना ।इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित मदों में अनुक्रमांक 3 में वर्णित हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जाएगी :–	बुनियादी प्रशिक्षण हेतु 10 हितग्राहियों के समूह को 6 माह के प्रशिक्षण हेतु रू. 500/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति, प्रशिक्षक का मानदेय रू. 5000/– प्रतिमाह, कच्चा माल रू. 200/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह एवं अन्य व्यय रू. 100/– प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से कुल राशि 78,000/– की स्वीकृति अनुदान स्वरूप संस्था को दी जावेगी। यह प्रशिक्षण बुनाई के लिये ही लागू होगा ।	सभी जिले	–	बुनकर सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, योजना अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होंगी

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
30	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	कुटीर उद्योग योजना	–	कुटीर उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु प्रशिक्षण/प्लांट एवं मशीनरी /कार्यशील पूंजी/ विपणन हेतु सहायता ।	कुटीर उद्योग से तात्पर्य उन उद्योगों से है जिन्हे नाबार्ड द्वारा घोषित 22 ग्रुप में शामिल किया गया है मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 534 दिनांक 1.11.07 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति 2007 जारी की गई है। इस नीति का पालन करते हुए संबंधित जिले के उपसंचालक/सहायक संचालक / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों /समूहो की सूची संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत /जनपद पंचायत को देगें जो इन व्यक्तियों/समूहो की आवश्यकतानुसार उनके द्वारा अपनाये जाने वाले ट्रेड (व्यवसाय) का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट से करेगें ।	क–औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्त पोषण किया जावेगा । ख–व्यक्तिगत हितग्राही रू. 50,000/– प्रति व्यक्ति (कार्यशील पूंजी) ग–5 व्यक्तियों के समूह हेतु राशि रू. 2.00 लाख प्रति समूह (कार्यशील पूंजी) घ–10 व्यक्तियों के समूह हेतु राशि रू. 5.00 लाख प्रति समूह (कार्यशील पूंजी) कुटीर उद्योगों में संलग्न उद्यमी/समूहों को कार्यशील पूॅजी नाबार्ड के उपरोक्तानुसार नर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त करने हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित कार्यशील पूंजी की राशि की एक तिहाई राशि अनुदान के रूप में बैक में मार्जिन जमा कराने हेतु स्वीकृत की जावेगी । शेष राशि की व्यवस्था बैंक /वित्तीय संस्थाओं से कराना होगी। शासन की अनुदान राशि तभी स्वीकृत की जावेगी, जब उद्यमी/समूह द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान से साख–सीमा स्वीकृति संबंधी आदेश/प्रमाण–पत्र अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।	सभी जिले	–	समिति/स्व–सहायता समूह/व्यक्तिगत हितग्राही द्वारा सहायता का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट "ब" पर भरकर सहपत्रों सहित जिलें के उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को देना होगा। ये अधिकारी प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर स्वीकृति हेतु जिलें के कलेक्टर/ मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेगें व कलेक्टर/ मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी। जो प्रस्ताव राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक अनुदान राशि के है उन्हें कलेक्टर/मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेजा जावेगा। राशि रूपये 0.25 लाख तक के प्रस्ताव संबंधित जिलें के उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा अपने स्तर से स्वीकृति का निर्णय लेकर स्वीकृत किए जावेगें।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
31	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	बुनकर वेलफेयर पैकेज	–	बुनकर समुदाय को सर्वोत्तम स्वास्थ सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय रूप से सक्षम बनाना ळें	योजना में बुनकर, उसकी पत्नि एवं दो बच्चों को भी शामिल किया गया है । बीमित बुनकर, पत्नि एवं दो बच्चों को पूर्व/विद्यमान बीमारियों का इलाज ओ. पी. डी. अथवा [illegible] लोम्बार्ड के सूचीबद्ध नर्सिंग होम्स/अस्पतालों में अधिकतम राशि रू. 15,000/– तक प्रति परिवार इलाज के लिये [illegible] लोम्बार्ड द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का प्रावधान है ।	इस योजना में भारत सरकार का अंशदान रूपये 800/– एंव बुनकर अंशदान रूपयें 200/– है इस प्रकार वार्षिक प्रमियम रूपये 1000/– निर्धारित है । बुनकरों के अंशदान में से रूपये 100/– राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा था । योजना अक्टूबर–2007 से पुनरीक्षित की गई हैं, जिसमें प्रीमियम की राशि इस प्रकार हैं :– 1– केन्द्र शासन का हिस्सा राशि रू. 642.47 2– राज्य शासन का हिस्सा राशि रू. 70.00 3– बुनकर का अंश राशि रू. 69.13 कुल प्रीमियम राशि रू. 781.60 यह योजना वर्ष 2008–09 से जिला स्तर की योजनाओं में स्थान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।	सभी जिले	–	योजना में बुनकर, उसकी पत्नि एवं दो बच्चों को भी शामिल किया गया है
32	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	अभिलेखीकरण एवं प्रमोशन	–	प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यो के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण जिस पर डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिग, परियोजना प्रतिवेदन, इलक्ट्रोनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टीसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है ।	–	सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है ।	–	–	–
33	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यकम	–	भारत सरकार द्वारा 11 वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथकरघा क्लस्टरों के समग्र विकास हेतु प्दजमहतंजमक भ्ंदकसववउ क्मअमसवचउमदज ैबीमउम योजना माह दिसम्बर 2007 से प्रारंभ की गई,	ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेत अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/ अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।	क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क नाली पेयजल विद्युत प्रदाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाए हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
34	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	स्पेशल प्रोजेक्ट	–	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये परियोजना आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, तथा संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट आफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएं कियान्वयन हेतु सहायता दी जाती है ।	–	–	–	–	–
35	हैण्डलूम (हाथकरघा) विभाग	बैंकों के माध्यम से ग्रामोद्योग के विकास हेतु परियोजना	–	प्रदेश के ग्रामीण कारीगरों , हाथकरघा बुश्नकरों/शिल्पियों के समग्र विकास हेतु बैक वित्त पोषण के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना।	1–ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु नाबार्ड/वित्तीय संस्थान के प्रतिमानों के आधार पर आवश्यक कार्यशील पूँजी, मशीन एवं भवन के लिये ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्था के मापदण्ड अनुसार आवश्यक हितग्राही अंश/मार्जिन हेतु सहायता। 2–विपणन प्रोत्साहन बाजार अध्ययन निर्यात मूलक गतिविधि में बैक एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक हिस्सेदारी के लिये सहायता। 3–अन्य मदे जो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विकास की दृष्टि से राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी आवश्यक समझे।	यह सहायता परियोजना आधारित होगी सहायता की अधिकतम सीमा राज्य स्टेयरिंग कमेटी के विवेकाधीन होगी।	–	–	समिति/स्व–सहायता समूह/उद्यमी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों के पदस्थ सहायक संचालक या जिला पंचायतों में पदस्थ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगे। जिन्हे परीक्षण उपरान्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा के साथ आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेजी जावेगी। शासकीय विभाग/निगम/संघ अपने प्रस्ताव सीधे आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेज सकेते है। संचालनालय द्वारा प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त राज्य स्टेयरिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जावेगे। स्वीकृति राज्य स्टेयरिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जायेगी।
36	श्रम	बीड़ी श्रमिकों के लिये घर की स्थापना	–	भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2007 से "पुनरीक्षित एकीकृत आवास योजना 2007" का परिचालन किया जा रहा है। योजना का कियान्वयन/संचालन केन्द्रीय कल्याण आयुक्त को सौंपा गया है।	बीड़ी श्रमिको के लिए आवास योजना केन्द्र प्रवर्तित है जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति आवास रूपये 40,000/– केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। कामगार का अंशदान रूपये 5000/– सहित प्रति आवास की कुल लागत रूपये 45,000/– से कम नहीं होना चहिए।	बीड़ी श्रमिको के लिए आवास योजना केन्द्र प्रवर्तित है जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति आवास रूपये 40,000/– केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।	सभी जिले	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
37	श्रम	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	–	योजना का उद्देश्य विमुक्त कराये गये बंधक श्रमिको के समुचित पुनर्वास में सहयोग प्रदान करना है।	योजना के अंतर्गत बंधक श्रमिको को विमुक्त किये जाने पर प्रत्येक को तात्कालिक सहायता के रूप में रूपये 1000/– की राशि प्रदान की जाती है तथा राज्य में उनके उचित स्थान पर पुनर्वास हेतु रू. 19000/– की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। यह राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50–50 प्रतिशत समान रूप से वहन की जाती है।	सर्वप्रथम विमुक्त बंधक श्रमिक के समस्त साहूकारी ऋण एवं देनदारियों को बंधक श्रम (उत्सादन) अधिनियम के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा परिसमापन किया जाता है तथा उन्हें योजनांतर्गत अनुदान राशि से रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते है अथवा राशि नगद प्रदान की जाती है।	सभी जिले	–	विमुक्त किये गये बंधक श्रमिकगण जिस स्थान पर पुनर्वास चाहते है वहां उनके सूचना, शिकायत अथवा सर्वेक्षण के आधार पर बंधक श्रमिक की जानकारी प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा उन्हें विमुक्त कराया जाकर पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है।जीवन यापन के स्थायी साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से रू. 19000/– की अनुदान राशि से भूमि अथवा गैर भूमि आधारित रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते है। यह राशि विकल्प के रूप में नगद भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा विमुक्त बंधक श्रमिकों को शासन की अन्य रोजगार मूलक कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता से हितलाभ प्रदान किये जाते है।
38	श्रम	असंगठित मजदूरों के वेलफेयर के लिये बोर्ड की स्थापना	–	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिको का सर्वे किया जाकर ऐसे श्रमिको की जानकारी एकत्रित कर उन्हे पहचान पत्र जारी करना एवं उनके कल्याण हेतु पेंशन सुविधा गृह निर्माण सहायता शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना आय में वृद्धि हेतु औजार तथा मशीनों हेतु ऋण उपलब्ध कराना, विवाह, चिकित्सा, प्रसूति बीमा, मृत्यु के मामले में सहायता उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य है।	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिको का सर्वे किया जाकर ऐसे श्रमिको की जानकारी एकत्रित कर उन्हे पहचान पत्र जारी करना एवं उनके कल्याण हेतु पेंशन सुविधा गृह निर्माण सहायता शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना आय में वृद्धि हेतु औजार तथा मशीनों हेतु ऋण उपलब्ध कराना,	–	सभी जिले	–	योजनांतर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण एवं शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 26 सितम्बर 2008 को म.प्र. राजपत्र द्वारा किया गया ळें
39	श्रम	हेल्थ हाइजिन लैन की इंदौर में स्थापना	–	प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य कारखानों के कार्य वातावरण में उपस्थित जहरीले, खतरनाक एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक रसायनों, गैसो एवं पदार्थो के स्तर की जॉच कर यह ज्ञात करना है कि, ये निर्धारित मान्य सीमाओं में है अथवा नहीं ।	कार्यवातावरण में इनकी उपस्थिति की मात्रा मान्य सीमाओं से अधिक होने पर ये श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जिस कारण वे व्यवसायजन्य बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे कार्य स्थलों में कार्यवातावरण की जॉच की जाना आवश्यक है। इस हेतु विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपकरणों के माध्यम से सेम्पल लिए जाते हैं तथा स्थल पर भी हानिकारक गैसे/रसायनों की उपस्थिति की जॉच की जाती है।	प्रयोगशाला द्वारा कारखानों में कार्यवातावरण की जॉच करने से मान्य निर्धारित सीमा के अन्दर पदार्थो /रसायनों /गैसों की उपस्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। अधिक होने पर इसे न्यून करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रबंधक से कराई जावेगी, ताकि कार्यरत श्रमिकों पर दुष्प्रभाव न पड़े। हायजिनलेब के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं भूमि/भवन निर्माण/भवन क्रय हेतु रुपये 33. 25 लाख का बजट आबंटित किया गया, जिसके लिये समुचित प्रकार की भूमि/भवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है।	सभी जिले	–	प्रयोगशाला द्वारा अतिखतरनाक श्रेणी/खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कार्यवातावरण की जॉच की जावेगी तथा कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इस तथ्य को सुनिश्चित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
40	श्रम	बंधुआ मजदूरों का सर्वे वर्क	–	बंधुआ मजदूरों का सर्वे	यारवी पंचवर्षीय योजनांतर्गत उक्त कार्य श्रम विभाग द्वारा संपादित किया जायेगा। जिसके अंतर्गत जिला एवं उपखण्ड सतर्कता समितियो का सर्वे, संवेदीकरण आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।	–	–	–	–
41	श्रम	बालश्रम सर्वे, प्रशिक्षण एवं रोजगार तथा पुनर्वास	–	योजनांतर्गत सर्वेक्षण में पाये गये बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण, उन्हें रोजगार प्रदाय करना, उन्हें पुनर्वास करना मुख्य उद्देश्य रखा गया है	प्रथम स्तर पर सर्वे कार्य आरंभ किया जा रहा है सर्वे कार्य हेतु यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता प्रतीत होगी तो योजनांतर्गत पुनर्विनियोजन में प्राप्त की जावेगी।	इस बजट में बाल श्रम प्रथा के विरूद्ध जन जागृति लाने तथा उनके पुनर्वास हेतु विभिन्न स्टेक होल्डर्स के संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।	सभी जिले	–	वर्ष 2009–10 के लिए बजट रूपये 2.00 लाख प्रस्तावित है।
42	श्रम	विभागीय गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण	–	विभागीय गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उक्त योजना में रूपये 2.00 लाख का बजट प्राप्त है। उक्त बजट में मुख्य रूप से श्रम विभागीय अमले का कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है।	–	–	–	वर्ष 2009–10 के लिए बजट रूपये 5.00 लाख प्रस्तावित है।
43	श्रम	श्रम संसाधन प्रशिक्षण सेन्टर व संस्थान	–	राज्य स्तरीय श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनावृत्ति व्यय रूपये 151.00 लाख योजना आयोग द्वारा स्वीकृत है।	प्रथम वर्ष 2007–08 में रू. 40.00 लाख निर्माण हेतु तथा 2008–09 हेतु निर्माण एवं स्थापना के लिये रूपये 53.00 लाख का बजट प्राप्त है। तथापि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण/भूमि प्राप्ति पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग पुनरीक्षित बजट अंतर्गत आवश्यकतानुसार की जावेगी।	–	–	–	
44	अनुसूचित जाति विकास	एम.पी.एस.सी.एफ. डी.सी. के लिये स्थापना ग्रांट	–	अनुसूचित जाति विकास संचालनालय अंतर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम स्थापित है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनांतर्गत ऋण व अनुदान उपलब्ध कराना।	निगम को स्थापना व अंशपूंजी हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
45	अनुसूचित जाति विकास	एम.पी.एस.सी.एफ.डी.सी. की प्रमोशनल गतिविधियों के लिये ग्रांट	–	एम.पी.एस.सी.एफ.डी.सी. की प्रमोशनल गतिविधियों के लिये ग्रांट	अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास से संबंधित गतिविधियां चलाने वाली 25 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। इनके प्रस्ताव जिलाधिकारियों से प्राप्त होते हैं।	–	–	–	–
46	अनुसूचित जाति विकास	एच.एस. बोर्ड के लिये बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	–	अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है	अनुसूचित जांति के ऐसे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है विभाग द्वारा राशि का भुगतान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को सीधे किया जाता है।	–	–	–	–
47	अनुसूचित जाति विकास	प्री परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	–	प्री परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	अनुसूचित जाति के स्नातक उम्मीदवारों को राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन भोज मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।	–	–	–	–
48	अनुसूचित जाति विकास	अनुसूचित जाति के छात्रों के जाति प्रमाणपत्र की आपूर्ति	–	अनुसूचित जाति के छात्रों के जाति प्रमाणपत्र की आपूर्ति	अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्रों की छपाई एवं लेमिनेशन की प्रति विभागीय व्यय पर उपलब्ध कराई जाती है।	–	–	–	–
49	अनुसूचित जाति विकास	नागरिक अधिकार सुरक्षा एक्ट	–	अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ नागरिक अधिकार संरक्षण की स्थापना की गई है। यह योजना स्थापना व्यय है।		–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
50	अनुसूचित जाति विकास	एस.सी. कालोनी का विकास	–	अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना	अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम–2004 लागू है। योजना नियमों में अनुसूचित जाति बस्तियों से तात्पर्य ऐसे ग्राम, वार्डों, मोहल्ले, मजरे, टोलों से है जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा जहां न्यूनतम 25 परिवार अनुसूचित जाति के निवास करते हों। योजना नियमों के अंतर्गत सी.सी.रोड़, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैंडपंप आदि का निर्माण किया जाता है।	–	–	–	–
51	अनुसूचित जाति विकास	एस.सी. के सहयोग की योजना	–	अनुसूचित जाति राहत योजना नियम–1979 अंतर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से जिलाध्यक्ष के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।	जो सदस्य अपनी असहाय अवस्था के कारण संकट में होते हैं तथा तात्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते हैं।	इस योजना के अंतर्गत उन्हें त्वरित सहायता/राहत राशि के रूप में अधिकतम राशि रूपये 2000/– प्रति व्यक्ति हो सकती है। इस हेतु कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है।	–	–	–
52	अनुसूचित जाति विकास	कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	विभागीय एवं जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु उनके लिये कम्प्यूटर एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।	–	–	–	–	–
53	अनुसूचित जाति विकास	एस.सी./एस.टी. पी.ओ.ए. एक्ट के अंतर्गत सहयोग	–	अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास सुविधायें इस योजनांतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं।	पीड़ित व्यक्तियों को सहायता जिलाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।	–	–	–	–
54	अनुसूचित जाति विकास	बन्छाड़ा बेड़िया जाति विवाह	–	बांछड़ा एवं बेड़िया वर्ग में वैश्यावृत्ति की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से बांछड़ा एवं बेड़िया सजातीय विवाह योजना संचालित है।	इस योजना अंतर्गत अपनी ही जाति में विवाह करने पर दंपत्ति को राशि रूपये 10,000/– का नगद पुरस्कार दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये हितग्राही को जिला कार्यालय में आवेदन करना होता है।	इस योजना अंतर्गत अपनी ही जाति में विवाह करने पर दंपत्ति को राशि रूपये 10,000/– का नगद पुरस्कार दिया जाता है।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
55	अनुसूचित जाति विकास	पब्लिक स्कूलों में पड़ रहे छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति	–	मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति के अभिभावकों जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके प्रतिभावान बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के श्रेष्ठ पब्लिक/सैनिक स्कूलों मे शिक्षा उपलब्ध कराना है।	इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में निम्नांकित शैक्षणिक संस्थाओं का नामांकन किया जाता है:– 1. डेली कॉलेज, इंदौर 2. सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर (कन्या/बालक) 3. दिल्ली पब्लिक स्कूल, भोपाल, इन्दौर. 4. ऐसी अन्य संस्थाएं जिनका नामांकन अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर किया जा सकता है।	–	–	–	1. छात्र–छात्रा कक्षा पहली से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हो। 2. किसी भी अभिभावक के दो से अधिक बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। 3. छात्र–छात्रा के अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख से अधिक नहीं हो।
56	अनुसूचित जाति विकास	हास्टल व आश्रम का नवनीकरण व रखरखाव	–	छात्रावासों के रख–रखाव एवं लघु निर्माण काय	विभाग द्वारा 1268 आवासीय छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं। उन छात्रावासों के रख–रखाव एवं लघु निर्माण कार्य इस योजना अंतर्गत किये जाते हैं।	–	–	–	–
57	अनुसूचित जाति विकास	उद्यमी विकास संस्थान की ग्रांट	–	उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान	अनुसूचित जाति के नवयुवकों को प्रशिक्षण देने हेतु उद्यमी विकास संस्थान संचालित है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु संस्थान को अनुदान दिया जाता है।	–	–	–	–
58	अनुसूचित जाति विकास	अंतरजातीय विवाह के प्रमोशन की योजना	–	अस्पृश्यता निवारण और वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक अपराध को रोकने के लिये अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना।	जिलाधिकारी के माध्यम से दम्पत्तियों का चयन किया जाता है। सम्मान समारोह जिला स्तर पर सम्पन्न होते है।	चुने हुये दम्पत्तियों को अन्तर्जातीय विवाह के उपलक्ष्य में पचास हजार रूपये नगद और प्रशस्ति पत्र तथा यात्रा व्यय दिया जाता है।	–	–	–
59	अनुसूचित जाति विकास	स्पेशल थानों का निर्माण	–	विशेष अनुसूचित जाति थानों की सीपना	अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 के तहत प्रकरणों को दर्ज करने एवं उनका अन्वेषण करने के लिये प्रदेश के 48 जिला मुख्यालय पर विशेष अनुसूचित जाति थानों की स्थापना की गई है। यह स्थापना व्यय है।	–	–	–	–
60	अनुसूचित जाति विकास	स्पेशल कोर्ट का निर्माण	–	विशेष अनुसूचित जाति विशेष न्यायालयों की सीपना	अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 के तहत प्रकरणों के न्यायालयीन निराकरण हेतु प्रदेश के 43 जिला मुख्यालय पर विशेष अनुसूचित जाति विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। यह स्थापना व्यय है।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
61	अनुसूचित जाति विकास	सूचना प्रौद्योगिकी	–	सूचना प्रौद्योगिकी	विभाग से संबंधित जानकारियों के संकलन हेतु सॉफ्टवेयर, सर्वर व कम्प्यूटर सामग्री हेतु यह योजना संचालित है।	–	–	–	–
62	अनुसूचित जाति विकास	सौभाग्यवती योजना	–	सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह के लिए राशि रूपये 5000/– की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है.	इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपये 350.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 7000 कन्याओं को लाभान्वित किया गया. वर्ष 2007–08 में रूपये 298.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 5960 कन्याओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया.	–	–	रूपये 5000/– की आर्थिक सहायता	–
63	अनुसूचित जाति विकास	नेतृत्व विकास के लिये कैरियर काउंसलिंग व कैम्प	–	अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे मेधावी छात्र–छात्राएँ जो प्रत्येक जिले के ग्रामीण अंचल के शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण कर 11वीं में प्रवेष लेने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा जो अपने समाज तथा राष्ट्र के उत्थान की प्रक्रिया में भागेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं उनके लिए एक सप्ताह का "नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास" शिविर राजधानी मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।	राजधानी मुख्यालय में एक सप्ताह का षिविर आयोजित किया जायेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषिष्ट जनों द्वारा छात्र–छात्राओं को संबोधित किया जायेगा। विभिन्न विषय एवं क्षेत्रों की जानकारी उपलबध कराई जायेगी। कैरियर काउन्सिलिंग पर विषेष सत्र आयोजित होगें। ये आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के पास होगें जिससे प्रतिभागी छात्र–छात्रायें राजधानी में आयोजित इन राष्ट्रीय पर्व व अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों का अवलोकन कर सकेगें, साथ ही विषिष्ट जनों से भेंट एवं चर्चा में सम्मिलित हो सकेंगे।छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं उनके ज्ञान वर्धन हेतु साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा।	–	–	–	–
64	अनुसूचित जाति विकास	सिविल सेवा के छात्रों को प्रोत्साहन	–	अनुसूचित जाति के योग्यता प्राप्त षिक्षित अभ्यार्थियों को लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।	अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा तथा मध्यप्रदेष लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राषि प्राप्त करने की पात्रता है ।	क्रमांक परीक्षा का स्तर संघ लोक सेवा आयोग म.प्र.लोक सेवा आयोग की परीक्षा रू में पात्रता राषि में पात्र राषि 1 प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण 40,000/ – 20,000/– 2 मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 60,000/ – 30,000/– 3 सक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 50,000/ – 25,000/–	–	–	अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्रोत्साहन राषि प्राप्त करने हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु मध्यप्रदेष लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदकों के माता–पिता एवं अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 1.20 लाख से अधिक न हो।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
65	अनुसूचित जाति विकास	आफिस भवनों का निर्माण व विद्युतीकरण	–	सर्वसुविधायुक्त कार्यालयीन भवनों का निर्माण	जिन जिलों में पृथक से विभागीय कार्यालय भवन नहीं है वहां पर सर्वसुविधायुक्त कार्यालयीन भवनों का निर्माण कराने संबंधी योजना है।	–	–	–	–
66	अनुसूचित जाति विकास	स्काउट एण्ड गाइड	–	अनुसूचित जाति के आश्रम एवं आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए स्काउट एवं गाईड के प्रशिक्षण	स्काउट एवं गाईड संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति के आश्रम एवं आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए स्काउट एवं गाईड के प्रशिक्षण कब–बुलबुल दल एवं स्काउट गाईड दलों के गठन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने हेतु संस्थान को अनुदान राशि दी जाती है।	–	–	–	–
67	अनुसूचित जाति विकास	अनुसंधान व वेल्यूएशन	–	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन कराने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।	–	–	–	–
68	अनुसूचित जाति विकास	खेल और संस्कृति गतिविधिया	–	अनुसूचित जाति के आवासीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु	अनुसूचित जाति के आवासीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु योजना संचालित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों को निःशुल्क उपकरण हेतु आर्थिक सहायता एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है।	–	–	–	–
69	अनुसूचित जाति विकास	संत रविदास पुरस्कार	–	अनुसूचित जाति वर्ग समाज में संत रविदास की प्रतिष्ठा आत्मोथानकारी समाज सेवक के रूप में है। इस वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में संत रविदास का महती योगदान है। अतः प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास, कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से कार्य करने वाले निजी व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं की वैयक्तिक सेवा ओर योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संत रविदास पुरस्कार की स्थापना की गई है।	–	मध्यप्रदेश संत रविदास स्मृति राज्य सेवा पुरस्कार रूपये 1.00 लाख नगद एवं पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका के रूप में दिया जावेगा।	–	–	–
70	अनुसूचित जाति विकास	प्रचार व छपाई	–	छात्रवृत्ति फार्मो की छपाई एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु बुकलेट प्रिंट	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति फार्मो की छपाई एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु बुकलेट प्रिंट हेतु प्रावधान रखा जाता है।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
71	अनुसूचित जाति विकास	घुम्मकड़ व विमुक्ति जाति विकास एजेन्सी की ग्रांट	–	म.प्र. की विमुक्त जाति घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के विकास हेतु म.प्र. राज्य विमुक्त जाति घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है।	–	–	–	–	–
72	अनुसूचित जाति विकास	पूल फण्ड	–	अनुसूचित जाति विकास अंतर्गत संचालित योजनाओं में राशि की पर्याप्त व्यवस्था एवं नवीन योजनाओं हेतु आवश्यक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूल फण्ड में राशि प्रावधानित की जाती है।	–	–	–	–	–
73	अनुसूचित जाति विकास	मजरे/टोले का विद्युतीकरण	–	अनुसूचित जाति की ऐसी बस्ती/ग्राम/मजरे/टोले आदि जहॉ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जहॉ विद्युत लाईन नहीं पहुॅची हो। विद्युत लाईन का विस्तार करना।	अनुसूचित जाति की बस्तियों/मजरे/टोलों आदि जहॉ मुख्य ग्राम से विद्युत लाईन नहीं पहुॅची हो, ऐसे ग्रामों/बस्तियों प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत लाईन का विस्तार किया जाता है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बस्ती में एकल बत्ती कनेक्शन/स्ट्रीट लाईट विद्युत लाईन के विकास के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं तक सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु निःशुल्क विद्युत की सर्विस लाईन पहुॅचाई जाती है। जिससे अनुसूचित जाति के गरीब लघु एवं सीमान्त कृषक अपने छोटे--छोटे खेतों की सिंचाई कर आर्थिक लाभ उठा सकें।	अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं तक सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु निःशुल्क विद्युत की सर्विस लाईन पहुॅचाई जाती है।	–	–	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में जहॉ कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के हों में रहने वाले लोग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर, लघु एवं सीमान्त कृषक।
74	उद्यान और कृषि वानिकी	केले का उत्पादन	–	प्रदेश में केले की खेती एवं अधिक उत्पादन को बढावा देने हेतु कृषकों के खेतों पर उपयुक्त जलवायु वाले जिलों में केला टिशु कल्चर पौधों के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।	–	प्रति प्रदर्शन रू. 2250/– का अनुदान टिशु कल्चर पौधों पर किया जाता है। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 492 केला प्रदर्शन डाले गये। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 तक 529 केला प्रदर्शन डाले गये।	–	–	–
75	उद्यान और कृषि वानिकी	फल वृक्षारोपण पर सब्सिडी	–	प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित ळें	रोपण हेतु फलों की भूमि एवं जलवायु की अनुकूलता के आधार पर आंवला 48 जिलें, अमरूद 48 जिले, अनार 9जिले, आम 39 जिले, संतरा 22 जिलें, नींबू 32 जिले, केला 9 जिले, पपीता 27 जिलेएवं अंगूर 9 जिलों का चयन किया जाकर योजना क्रियान्वित है। योजना के अंतर्गतवर्ष 2006–07 में माह 2007 तक 32198.31 हे. में रोपण किया गया है। वर्ष 2007–08में माह जनवरी 2008 तक 38037.17 हे. में रोपण किया गया है।	इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आंवला, आम, संतरा, नींबू, केला पपीता एवं अंगूर के रोपण पर नाबार्ड के इकाई लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल संतरा, आंवला, आम एवं नींबू पर 25 प्रतिशत अनुदान नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
76	उद्यान और कृषि वानिकी	बड़े शहरों के पास सब्जी उत्पादन	–	प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आस–पास के कृषकों को संकर सब्जी की खेती के लिये के लिये अनुदान	प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आस–पास के कृषकों को संकर सब्जी की खेती के लिये 50 प्रतिशत सामान्य कृषकों के लिये 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिये अनुदान पर संकर सब्जी बीज प्रति हेक्टेयर लागत का अधिकतम रू. 1500/– एवं 2250/– क्रमशः अनुदान दिया जाता है, जो अधिक से अधिक प्रति कृषक दो हेक्टेयर तक दिया जा सकता है।	वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 10016.711 हे. की पूर्ति कर ली गयी है। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 तक 8172.92 हे. हेतु संकर सब्जी बीज उपलब्ध कराया गया है।	–	–	–
77	उद्यान और कृषि वानिकी	आलू विकास योजना	–	प्रदेश में आलू के उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनान्तर्गत 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में उन्नत किस्म के प्रदर्शन डलवाये जाते हैं।	–	रवि मौसम में आलू के क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिये आलू विकास योजना के अन्तर्गत रू. 500/– का अनुदान दिया जाता है। जिसके तहत रू. 480/– का आलू बीज एवं रू. 20/– का बीज उपचार औषधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 23684 आलू प्रदर्शन डाले गये हैं। वर्ष 2007–08 में जनवरी, 2008 तक 27772 आलू प्रदर्शन डाले गये।	–	–	–
78	उद्यान और कृषि वानिकी	मसाला विकास योजना	–	मसाले वाली फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला मिनिकिट की योजना चालू की गई है।	–	योजनान्तर्गत धरिया एवं मिर्च के लिये रू. 100/–, लहसुन के लिये रू. 200/–, अदरक के लिये रू. 350/– व हल्दी के लिये रू. 250/– मूल्य के उन्नतशील बीज के मिनिकिट वितरित किये जाते हैं। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 117114, मसाला मिनिकिट किसानों के खेतों पर डाले गये। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 तक 118373 मसाला मिनिकिट वितरीत किया गया है।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
79	उद्यान और कृषि वानिकी	फूलों की खेती का कार्यकम	–	प्रदेश में पुष्पों की बढ़ती मांग में लगातार वृद्वि हो रही है। पुष्पों की व्यावसायिक खेती से होने वाले कम क्षेत्र से अधिक आमदनी होती है, को ध्यान में रखते हुये पुष्प प्रदर्शन की योजना क्रियान्वित है।	–	योजनान्तर्गत गुलाब, रजनीगंधा, आस्टर, गेंदा, गुलदाऊदी, ग्लेडियोलाई आदि प्रमुख पुष्पों के 1/25 हे. में कृषकों के यहां प्रदर्शन डलवाये जाते हैं। प्रति प्रदर्शन बीज, खाद एवं पौधों पर 4000 रू. का व्यय निर्धारित किया गया है। इस राशि का 75 प्रतिशत अनुदान प्रति कृषक प्रति प्रदर्शन दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 2900 प्रदर्शन डाले गये है। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 तक 3386 पुष्प प्रदर्शन डाले गये।	–	–	–
80	उद्यान और कृषि वानिकी	औषधि व सुगन्धित पौधों की खेती का कार्यकम	–	प्रदेश में औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विकास के अंतगत अश्वगंधा, सर्पगंधा, ईसबगोल, अजवाईन, सफेद मूसली, विलायती सौंफ, मेंथा पामारोज आदि का विकास	–	प्रदेश में औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विकास के लिये राज्य पोषित योजना के अंतगत अश्वगंधा, सर्पगंधा, ईसबगोल, अजवाईन, सफेद मूसली, विलायती सौंफ, मेंथा पामारोज आदि के मिनिकिट रू. 100 की रोपण सामग्री के रूप में दिये जाने के प्राधान है। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 63220 मिनिकिट वितरीत किया गया है। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 तक 68967 मिनिकिट वितरीत किया गया है।	–	–	–
81	उद्यान और कृषि वानिकी	किचन गार्डन का विकास	–	राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतीहर मजदूरों को उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पौकेट वितरीत करने का प्रावधान है।	राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतीहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत प्रति को रू. 50 की सीमा तक उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पौकेट वितरीत करने का प्रावधान है। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 312631 सब्जी बीज पैकेट वितरीत किया गया है। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 त 167640 सब्जी बीज के पैकेट वितरीत किये गये हैं।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रक्रिया का विवरण
82	उद्यान और कृषि वानिकी	सकर मिर्च उत्पादन कार्यक्रम	–	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के वर्ग के कृषकों को संकर मिर्च उत्पादन कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं कृषकों की आय बढ़ाना है साथ ही मिर्च फसल का क्षेत्रफल, गुणवत्ता, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है।	–	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के वर्ग के कृषकों को संकर मिर्च उत्पादन कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं कृषकों की आय बढ़ाना है योजना के तहत न्यूनतम 0.1 हे. तथा अधिकतम 0.5 हे. हेतु बीज एवं बीजोपचार रासायनिक एवं जैविक उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों हेतु न्यूनतम रू. 1400/– तथा अधिकतम रू. 7000/– अनुदान हितग्राहियों को निःशुल्क 1 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराना प्रावधानित है। योजना का लाभ कृषक को एक बार देने के पश्चात दूसरी बार 5 वर्ष पश्चात् ही दिया जा सकेगा।	–	–	–
83	उद्यान और कृषि वानिकी	फल परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण	–	फल परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा साग–भाजी परिरक्षित पदार्थ जैसेः– जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, चटनी, केचप, सॉस, शर्बत आदि बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया है।	फल परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा साग–भाजी परिरक्षित पदार्थ जैसेः– जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, चटनी, केचप, सॉस, शर्बत आदि बनाने का प्रशिक्षण इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, एवं रीवा आदि जगहों पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2006–07 में माह मार्च 2007 तक 651 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2007–08 में माह जनवरी 2008 तक 256 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।	–	–	–	–
84	उद्यान और कृषि वानिकी	माइक्रो सिचाई योजना	–	भारत सरकार के द्वारा लागू माईक्रो इरीगेशन येाजना को प्रदेश में 2005–06 से कियान्वयन । ☐ योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया । ☐ यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अन्तर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी ।	केन्द्र प्रवर्तित माईक्रो इरीगेशन योजना वित्तीय वर्ष 2005–06 के माह जनवरी–2006 से स्वीकृत हुई है । वर्तमान में राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत राज्यांश को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के कृषक हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों हेतु 40 प्रतिशत किया गया ।	इस प्रकार अब निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को एवं 80 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को ड्रिप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम उद्यानिकी फसलों में स्थापित करने पर देय होगा ।इस प्रकार 70 से 80 प्रतिशत अनुदान राशि का 40 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा एवं 30 से 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । शेष्ज्ञ अंश कमशः 30 एवं 20 प्रतिशत अंश कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा । इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर ड्रिप/स्प्रिंकलर का प्रदर्शन भी आयोजित करने का प्रावधान है ।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
85	उद्यान और कृषि वानिकी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	–	योजना संक्षिप्त विवरण 1 मॉडल नर्सरी (बड़ी) की स्थापना 2 मॉडल नर्सरी (छोटी) की स्थापना 3 सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम 4 बीज अधोसंरचना का विकास ग्रीन हाऊस के साथ–साथ 5 नये फलोद्यानों की स्थापना 6 पुष्प विकास 7 मसाला विकास 8 पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार 9 जल स्त्रोतों का निर्माण शासकीय अथवा निजी भूमि पर 10 आर्गेनिक फार्मिंग 11 वर्मी कम्पोष्ट यूनिट एक कृषक को अधिकतम 12 मानव संसाधन विकास 13 तकनीकी प्रसार शासकीय रोपणियां 14 फसलोत्तर प्रबंधन 15 मधुमक्खी पालन . 16 जीरो एनर्जी कूल चेम्बर 10 क्विंटल क्षमता तक 17 प्याज भण्डार गृह प्याज को सुरक्षित रखने हेतु 18 संरक्षित खेती (हे. में) रूपये 650/– वर्ग मी0	मध्यप्रदेश में प्रथम चरण में इस परियोजना का क्रियान्वयन निम्न 30 जिलों में किया जा रहा है	–	–	–	–
86	उद्यान और कृषि वानिकी	नर्सरी स्थापना के द्वारा उद्यमिता का विकास	–	नर्सरी स्थापना के द्वारा उद्यमिता का विकास	योजनान्तर्गत 1 हे. की कृषि योग्य उपयुक्तभूमि उपयोग में लाने की क्षमता रखने वाले सामान्य वर्ग के कृषकों को इकाई लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.75 लाख जो भी कम हो तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.50 लाख जो भी कम हो अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है। योजना का क्रियान्वयन 20 जिलों में क्रमशः भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया,शिवपुरी, अशोकनगर, सीहोर, रायसेन, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना बालाघाट, सिवनी,नरसिंहपुर, कटनी, विदिशा, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर में किया जावेगा।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
87	भूगर्भ विज्ञान तथा खनिकर्म विभाग,	खनिज अन्वेषण हेतु सर्वेक्षण व मानचित्रण	–	खनिजों की खोज के कार्य में विभागीय तकनीकी अमला कार्यरत है। इस अन्वेषण कार्य में रिकोनेसेन्स परमिट के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी प्रदेश में कार्यरत है। विभागीय अन्वेषण कार्य की रूप रेखा राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। इस मंडल में राज्य में कार्यरत केन्द्रीय शासन की अन्वेषण एजेन्सियां, जैसे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरों, कोल इंडिया लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम तथा अन्य शासकीय विभाग तथा उपक्रम सदस्य होते है।	वित्तीय वर्ष 2007 –2008 में खनिज संसाधनों के चिन्हांकन के अंतर्गत प्रदेष के 12000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में द्रुतगति भौमिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से खनिजों की खोज तथा प्रदेश के सात उन जिलों की खनिज तालिका बनायी जायेगी जो इस कार्य हेतु अभी भी शेष है। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप प्रकाश में आये खनिज धारित क्षेत्रों का विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा। पूर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत 60 घनमीटर गड्ढाकरण तथा 5000 मीटर वेधन किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्र नमूनों में 4500 मूलकों का विश्लेषण किया जायेगा।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
88	भूगर्भ विज्ञान तथा खनिकर्म विभाग,	अन्य गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	खनिज, उद्योगों हेतु एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि विभिन्न उद्योगों को अनेक प्रकार के आवष्यक तत्वों को उपलब्ध कराता है। विभाग विभिन्न उद्देष्यों की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेष के अलग--अलग क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण का कार्य करता है।	प्रदेश में खनिज अन्वेषण क्षेत्र में रिकोनेसेन्स परमिट के माध्यम से कई कम्पनियां कार्यरत है। वर्ष दिसम्बर 2007 तक प्रदेष के 20283 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर 09 राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हीरा, सोना, चॉदी, प्लेटिनम, तॉबा, जिंक, निकल, आदि बहुमूल्य खनिजों की अत्याधुनिक तकनीक से खोज हेतु 17 रिकोनेसेन्स परमिट स्वीकृत किये गये है। पूर्व में जिन कम्पनियों के द्वारा कार्य किया गया उनमें से रियो टिन्टो द्वारा छतरपुर एवं पन्ना क्षेत्र में 15 किम्बरलाइट पाइप की खोज की गई है। जिसमें से 4 किम्बरलाइट पाईप में हीरे की उपस्थिति के संकेत मिले है। इसी तरह मेसर्स जियोमैसूर द्वारा सीधी, जबलपुर एवं कटनी जिले में सोना ,जिंक, कॉपर एवं निकिल पेलेडियम की खोज की गई है। इन कम्पनियों द्वारा उपयुक्त क्षेत्रों में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के तहत विस्तृत कार्य कर भण्डारों का आंकलन किया जावेगा। प्रदेश में गैर–परम्परागत उर्जा के स्त्रोत कोलबेड मीथेन की उपस्थति एवं भण्डार आंकलन हेतु अनूपपुर एवं शहडोल जिले में पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये थे। रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा किये गये कार्य के परिणाम स्वरूप 3.65 खरब घन फिट कोलबेड मीथेन के भण्डार होना बताया गया है।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व क्रियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
89	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग	अनुदान पर सांडो का वितरण	–	1–कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदेश मे मात्र 4 लाख पशुओं के लिये ही उपलब्ध है । सुदूर अंचलों मे जहॉ कृत्रिम गर्भाधान सेवा : है ऐसे क्षैत्रों मे नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना । 2–प्रशिक्षित गोसेवकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान पर सांड उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना 3–सुदूर अंचलों मे कृत्रिम गर्भाधान की अपेक्षा प्राकृतिक गर्भाधान की ओर ग्रमीणों मे ज्यादा रूचि होने से उनको प्राकृतिक पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना 4– नस्ल सुधार	1–इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक को उन्नत नस्ल का एक सांड , अनुदान पर प्रदाय करना । 2– योजना प्रदेश के सभी जिलों मे लागू । 3–योजना , समाज के सभी वर्गो के लिये ।	अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पशु पालक	–	–	सामान्य वर्ग के लिये ..... 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लिये 90 प्रतिशत
90	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग	गहन कुक्कुट विकास	–	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार । मांस उत्पादन मे बढ़ोतरी नस्ल सुधार	यह योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 चूजे, खाद्यान्न, औषधि का प्रावधान याजना अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जिलों मे ही लागू ।	अनु सूचितजाति/जनजाति वर्ग के लिये 75 प्रतिशत	–	–	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालक ।
91	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग	अनुदान पर सूकर त्रयी/सूकर यूनिटों का वितरण	–	सूकर पालन के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों के आर्थिक स्तर को उपर उठाना	इस योजना में प्रत्येक हितग्राही को प्रजनन योग्य आयु के एक नर तथा 10 मादा सूकर का प्रदाय किया जाता है । हितग्राही को अनुदान और ऋण उपलब्ध कराते हुए सूकर संगोपन के लिये संतुलित आहार का प्रदाय किया जाता है। सूकर स्वास्थ्य रक्षा के लिये रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकार्य की व्यवस्था के साथ ही इस योजना में इकाई के उत्पादित पिगलेट्स की बिक्री की व्यवस्था भी की जाती है ।योजना शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना और विशेष घटक योजना के लिये निर्धारित जिलों में संचालित की जा रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा जिला सिवनी,, मण्डला, रतलाम , देवास, उज्जैन गुना ,शिवपुरी, जिलों में कियान्वित की जा रही हो	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप अनुसूचित जाति /जनजाति के चुने हुए हितग्राहियों को ही पात्रता रहती है।	–	–	हितग्राही चयन जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मापदण्ड के अनुरूप ग्राम सभा स्तर से आरम्भ होकर ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा अनुशंसा के बाद जिला पंचायत से अनुमोदन प्राप्त होने पर किया जाता है।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
92	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग	गोसेवक प्रशिक्षण	–	ग्रामीण अंचलों मे पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना	कार्यक्षैत्र :– सम्पूर्ण प्रदेश अहर्ता :–उसी गांव का निवासी हो जहां उसे कार्य करना है , हाईस्कूल (दसवीं) पास होना अनिवार्य । आयु सीमा :–18 से 35 वर्ष के बीच चयन प्रकिया :–आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों के माध्यम सेजनपपद द्वारा अनुशंसित जिला पंचायत द्वारा अंतिम चयन । प्रशिक्षण केंद्र :– प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय प्रशिक्षण अवधि :–6माह जिनमे से तीन माह सैद्धांतिक प्रशिक्षण केंद्रों पर तथा तीन माह का व्यवहारिकप्रशिक्षण पशु चिकित्सा संस्थाओं पर दिया जाता है।	गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत निर्धारित प्रावधनों के अनुसार वित्तीय सहायता ।	–	–	शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक । (सभी वर्ग के पात्र युवक)
93	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग	प्रजनन बुल का वितरण	–	1–कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदेश मे मात्र 4 लाख पशुओं के लिये ही उपलब्ध है । सुदूर अंचलों मे जहॉ कृत्रिम गर्भाधान सेवा है ऐसे क्षैत्रों मे नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना । 2–प्रशिक्षित गोसेवकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान पर सांड उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना 3–सुदूर अंचलों मे कृत्रिम गर्भाधान की अपेक्षा प्राकृतिक गर्भाधान की ओर ग्रमीणों मे ज्यादा रूचि होने से उनको प्राकृतिक पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना 4– नस्ल सुधार	1–इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक को उन्नत नस्ल का एक सांड , अनुदान पर प्रदाय करना । 2– योजना प्रदेश के सभी जिलों मे लागू । 3–योजना , समाज के सभी वर्गो के लिये ।	सामान्य वर्ग के लिये ..... 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लिये 90 प्रतिशत	–	–	अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पशु पालक
94	सहकारिता	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गोदाम निर्माण	–	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गोदाम निर्माण	इस योजना के अतर्गत नवीन गोदान निर्माण, मार्किट याड के लिये सहायकता उपलब्ध करायी जाती है ।	–	–	–	–
95	सहकारिता	पैक्स/लैम्पस की अंशपूंजी में घनवेष्ठन	–	पैक्स/लैम्पस की अंशपूंजी में घनवेष्ठन	यह सहायता नाबाड से राज्य सरकार को प्राप्त ऋण के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में धन वेस्टन के रूप में उपलब्ध करायी जाती है इससे प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं की ऋण प्राप्त करने की पात्रता में अभीवृधि होती है ।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
96	सहकारिता	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का पालन	–	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का पालन	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषि, उद्योग, प्रकिया,विपणन और उपभोक्ता क्षेत्रों में विकास के लिये योजनायं संचालित की जा रही है इनमें वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना एकीकृत सहकारी विकास परियोजना है। जो वर्तमान में प्रदेश के सात जिलों में संचालित की जा रही है इस परिययोजना के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिये सहायता उपलब्ध करायी जाती है।	–	–	–	–
97	सहकारिता	कृषि साख स्थिरकिरण (अपैक्स बैंक स्तर पर)	–	बैंक से प्रस्ताव प्राप्त कर कमजोर बैंक को आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	कमजोर बैंक	–	–	बैंक से प्रस्ताव प्राप्त कर
98	सहकारिता	राज्य/जिला सहकारी संघ को अनुदान	–	सहकारिता के विकास हेतु	आर्थिक सहायता	राज्य सहकारी संघ	–	–	संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर
99	सहकारिता	अल्पावधि ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने हेतु राज्य सहकारी बैंक को अंशदान	–	सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु	आर्थिक सहायता	कमजोर बैक	–	–	बैंक से प्रस्ताव प्राप्त कर
100	सहकारिता	केन्द्रीय सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	–	अ.ज.जा./अ.जा. के सदस्यों द्वारा लिये गये ऋणों पर ब्याज राहत ।	अनुदान	प्रस्ताव प्राप्त कर	–	–	संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
101	रेशम	शहतूत सेक्टर	–	भोगाधिकार प्राप्त हितग्राहियों द्वारा निशुल्क उपयोग में लिये जा रहे कृमिपालन भवन, सिंचाई एवं अन्य अधोसंरचना का शासकीय व्यय से रख–रखाव एवं विकास।	रेशम कृमि बीज का रियायती दर पर प्रदाय। हितग्राहियों को निशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं क्षमता विकास। भोगाधिकार एवं अपनी स्वयं की भूमि पर मलबरी की खेजी एवं रेशम कृमिपालन कर रहे हितग्राहियों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास योजना अंतर्गत जिसमें लगभग 50 प्रतिशत राज्य शासन का अंश है, के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण/ टूलकिटस/ कृमिपालन भवन आदि उपलब्ध कराये जाते है। (6) हितग्राहियों के उत्पादन की गुणवत्ता आधारित पद्धति पर क्रय की 100प्रतिशत गारंटी।	हितग्राहियों को शासकीय भूमि पर रोपित मलबरी क्षेत्र के एक–एक एकड क्षेत्र का निशुल्क भोगाधिकार। भोगाधिकार प्राप्त हितग्राहियों को कार्यशील पूंजी के रूप में रूपये 6200/– प्रति एकड चक्रीय राशि का प्रदाय।	–	–	–
102	रेशम	टसर सेक्टर	–	वन क्षेत्रों में साजा एवं अर्जुन के पौधों का रोपण कर विकसित नाभकीय केन्द्रों पर आदिवासी हितग्राहियों के स्व सहायता समूह को टसर रेशम कृमिपालन एवं कोसा उत्पादन की निशुल्क सुविधा।	(1) (2) रियायती दर पर टसर रेशम बीज उपलब्ध कराना। (3) निशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं क्षमता विकास। (4) हितग्राहियों के उत्पादन की गुणवत्ता आधारित पद्धति पर क्रय की 100प्रतिशत गारंटी।	–	–	–	–
103	रेशम	इरी सेक्टर	–	योजना का उद्देश्य–निजी क्षेत्र में अरण्डी पौधो का रोपण एवं उस पर कृमिपालन, इसी रेशम उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुये हितग्राहियों एवं कर्मचारियों का क्षमता विकास, अनुसंधान एवं विकास, कृमिबीज की व्यवस्था तथा अन्य संबंधित अधोसंरचना का विकास।	योजना का आच्छादन–इरी रेशम उत्पादन हेतु विकासात्मक कार्य करना तथा हितग्राहियों को बेकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कार्य। (3)	सहायता का पैटर्न–योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र में अरण्डी पौधो का रोपण, उस पर कृमिपालन में सहायता, हितग्राहियों को निशुल्क प्रशिक्षण रियायती दर पर रेशम कृमि बीज उपलब्ध कराया जायेगा कृमि बीज की दरों का निर्धारण केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित रियायती दरों के आधार पर किया जायेगा।	–	–	–
104	रेशम	क्लस्टर वर्क	–	प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक/आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू–जोत का आकार न्यूनतम होने के कारण छोटे एवं सीमांत कृषकों, परम्परागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे	ऐसे संकुलों में रेशम की मिट्टी से रेशम तक की गतिविधियों हेतु विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुये संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना।	–	–	–	–
105	रेशम	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	–	उक्त योजना अंतर्गत मलबरी/ टसर/इरी क्षेत्र में हितग्राहियों एवं कर्मचारियो का क्षमता विकास किया जाता है।	साथ ही उन्नत तकनीकों (मलबरी/टसर खाद्य पौधरोपण) का फील्ड ट्रायल एवं अनुसंधान कार्य कराया जाता है।	–	–	–	–
106	रेशम	सूचना प्रौद्योगिकी	–	उक्त योजना में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर क्रय, कम्प्ययूटर सहायक सामग्री का क्रय किया जाना एवं	जिलों में उपलब्ध कम्पयूटरों को मुख्यालय से लिंक किया जावेगा।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
107	रेशम	स्पेशल प्रोजेक्ट	–	मलबरी टसर एवं इरी ककून तथा रेशम उत्पादकों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति हेतु विशिष्ट परियोजनायें तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में हिस्सेदारी के लिये सहायता।	राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति हेतु विशिष्ट परियोजनायें तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में हिस्सेदारी के लिये सहायता।	–	–	–	–
108	रेशम	उद्यमी स्वयं सहायता समूह/स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता	–	उद्यमी स्वयं सहायता समूह/स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता	रेशम उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों/स्वसहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को विकास, उत्पादन एवं विपणन से संबंधित गतिविधयों में सहयोग	–	–	–	–
109	रेशम	अभिलेखीकरण व प्रमोशन	–	रेशम उद्योग प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी पर रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस उद्योग में लगे हितग्राहियों को नियमित रोजगार मिले इस हेतु उनके उत्पादों की मांग बढें तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की नितांत आवश्यकता है।	अभिलेखीकरण इस लिये भी आवश्यक है कि यह न केवल विकास कार्यो को दर्शाता है बल्कि इस उद्योग के इतिहास को भी दर्शाता है। अभिलेखीकरण का उपयोग डायग्नोस्टिक स्टैडी एवं भावी योजनायें तैयार करने में सहायक होगा।	–	–	–	–
110	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,	प्रदर्शनी में भाग लेना अथवा सेमिनार और वर्कशाप को आयोजित करना	–	प्रदर्शनी में भाग लेना अथवा सेमिनार और वर्कशाप को आयोजित करना	सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन	–	–	–	–
111	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,	स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क सहायक अनुदान	–	भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क अधोसंरचना हेतु राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा किया जा रहा हैं। परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालय उनके जिला मुख्यालय से जिला मुख्यालय उनके सम्भाग मुख्यालय से एव सम्भाग मुख्यालय भापे ाल से जाडे ने की क्षमता रहेगी।	सचू ना प्रौद्यो गिकी विभाग, भारत सरकार के सहयागे एव मार्गदर्षन से राज्य शासन के दिषा–निर्देषानुसार म.प्र. स्टटे इलके ट्रॉनिक्स डेव हलपमेंट कार्पोरे न लि. (एम.पी. एस.ई.डी.सी.) मध्यप्रदेष म स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना में ब्लाक स्तर तहसील से तथा तहसील स्तर जिला से तथा जिला स्तर सम्भाग से तथा सम्भाग स्तर राजधानी से हाई स्पीड टेलीकाम कनेक्टिविटी हो सकगे ी जिससे प्रदेष के अतिम छोर तक कम्प्यूटर/इन्टरनटे संप्रेषण सुविधा प्राप्त हो जावेगी।	परियाजे ना की लागत रूपये 175 कराडे है। जिसम रूपये117 कराडे. की राषि भारत सरकार द्वारा करा दी गई है तथा प्रथम किश्त भी प्राप्त हो चुकी है। रूपये 58 करोड़ की राषि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराने पर सिद्धां तत सहमति व्यक्त की गई है। परियाजे ना का सचं ालन दिसम्बर 2007 तक किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रारम्भिक किष्त रूपये 12 करोड़ की राषि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
112	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,	मैप आई टी मे जीआईएस लैन की स्थापना	–	राज्य सरकार के विभागो एजेन्सियो को सचूना प्रौद्यागिकी सबं धी परामर्श देना तथा उन्हें कम्प्युटरीकरण और नेटवर्किंग के कार्यो मे सहायता प्रदान करना। ' उद्यागे तथा निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एव सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर सचू ना प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना।	संस्था का गठन वर्ष 1999 में किया गया। यह संस्थान मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पजीकृत है । यह राज्य शासन की पजं ीकृत सोसायटी है जो राज्य में सचू ना प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कार्य करती है।	–	–	–	–
113	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,	राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान	–	राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान	इसके तहत प्रदेश का रोड मैप एवं ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया जाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।भारत सरकार द्वारा ब्ल्यू प्रिन्ट पर औपचारिक स्वीकृति दिये जाने के बाद रोड मैप के अनुसार प्रशिक्षण तथा कैपासिटी बिल्डिगं का कार्य प्रांरभ किया जायगेा।	भारत सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के तहत मध्यप्रदेश राज्य हेतु रूपये 2817.40 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।	–	–	–
114	आपदा प्रबंधन विभाग	प्रशिक्षण कोर्स/सेमिनार/कांफ्रेंस/आपदा प्रबंधन	–	प्रशिक्षण कोर्स/सेमिनार/कांफ्रेंस/आपदा प्रबंधन	प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदा के विभिन्न विषयों पर प्रषिक्षण कार्यकमों का आयोंजन संस्थान की प्रमूख गतिविधि है । इसके तहत संस्थान द्वारा 'स्थापना के समय से ही समस्त प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से प्रषिक्षण कार्यकमों का आयोजन किया जाता हे । इस गतिविधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन से जुडे विभिन्न विभागों, खतरनाक उधोगों, स्वंय सेवी संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
115	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम	–	आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम	जनसामान्य को आपदाओं के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना विकासषील देष की प्रथम आवष्यकता है । यदि जनमानस आपदाओं से संबंधित पहलुओं की जानकारी रखता है तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या औधोगिक आपदा के समय वह उससे बचाव के प्रथम प्राथमिकी उपायों का कारगर ढंग से अनुसरण कर होने वाली हानि को कम कर सकता है । इस गतिविधि के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गो जैसे विधार्थी, औधोगिक क्षेत्रो में रहने वाले जन सामान्य, ग्रामिण समुदाय, निति निर्धारक, स्वयंसेवी संगठनो आदि हेतु प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रो में जनजाग्रति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।	–	–	–	–
116	आपदा प्रबंधन विभाग	लाइब्रेरी तथा डाक्यूमेन्टेशन कन्द्रोल	–	लाइब्रेरी तथा डाक्यूमेन्टेशन कन्द्रोल	सूचना तथा प्रलेख के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से संबंधित पहलुओं पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन तथा आपदाओं की रोकथाम व सूचारू प्रबंधन हेतु तकनीकी दक्षता व जन चेतना के उत्थान हेतु समुचित उपयोगी सामग्री का विकास एवं विभिन्न गतिविधियों व माध्यमों से उक्त सामग्री का लोकहित हेतु वितरण प्रसारण किया जाता है।' संस्थान ने अपनी वेवसाइट को अधतन कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयो पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं प्रलेखों दिषानिर्देषों संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिष्चित की है । मासिक रूप से प्रकासित संस्थान के समाचार पत्रों के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों व बहुउपयोगी सूचनाओं का प्रकाषन सतत् रूप से किया जा रहा है ।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
117	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना	–	आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना	आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस विभिषिका के परिप्रेक्ष्य में आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में 19 नवम्बर 1987 को की गई । संस्थान को मध्य प्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के अन्तर्गत मार्च 1995 में पंजीकृत कराया गया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संस्थान की साधारण सभा (जनरल बाडी) के सभापति हैं तथा माननीय पर्यावरण मंत्री, उपसभापति है । संस्थान के कार्यो के संचालन व मार्गदर्शन हेतु कार्यकारिणी समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं सदस्य सचिव, कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान है ।	–	–	–	–
118	आदिवासी विकास	छात्र ग्रह योजना	–	यह योजना मैट्रिकोत्तर स्तर के उन छात्रों के लिए है जिन्हें स्थानाभाव के कारण छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जबकि दूर से आने वाले विद्यार्थियों को आवास की तुरन्तु आवश्यकता होती है, ऐसे छात्र ों के लिए छात्र ावास सुविधा के अनुरूप छात्र गृह योजना संचालित की जारही है ।	1. विभागीय प्रभारी अधिकारी द्वारा शिक्षा संस्था के पास सुविधायुक्त मकान किराए पर दिया जावेगा । 2. विभाग केवल मकान किराया, विद्युत जलकर एवं मैट्रिकोत्तर दर पर छात्रवृत्ति देगा । बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन, पानी, साफ–सफाई, अखबार, स्वीपर आदि । शेष व्यवस्था छात्र ों को निजी तौर पर करना होगी ।	1. छात्रगृह में उन्हीं छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में कक्षा 11वीं या उससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लेलिया है, मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्ति की पात्र ता रखते हों ।ढ ध्य्छज्ञ 2. छात्रगृह के छात्रों को केवल छात्रावासी दरपर मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्ति देय होगी ।	–	–	छात्रगृह की स्वीकृति तभी दी जावेगी जब कम से कम 5 (अधिकतम सीमा नहीं है) छात्र–छात्र गृहमें रहने के लिए तैयार हो । इस हेतु लिखित आवेदन दिया जाना आवश्यक है ।
119	आदिवासी विकास	सामुदायिक विवाह	–	आदिवासी सामूहिक विवास सम्मेलन	1. इस योजना अंतर्गत आदिवासी सामूहिक विवास सम्मेलन में विवाह करने वाली कन्या के परिवार को इस योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है. वर्ष 2006–07 में 1500 कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है.	–	–	–	–
120	आदिवासी विकास	राहत योजना	–	साधनहीन कन्या जिसके माता–पिता न हों, को आर्थिक सहायता	1. राहत योजना नियम, 1979 के अंतर्गत साधनहीन कन्या जिसके माता–पिता न हों, के विवाह हेतु 2000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है तथा ऐसी कन्या जिसके माता–पिता की मासिक आय 200/– रूपये प्रतिमाह तक है, का 1000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
121	आदिवासी विकास	पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल	–	शिक्षा प्राप्त करने आने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास खोले गये हैं ।	1. पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निजी उपयोग में आने वाली सामग्री के स्थान पर निम्न दर पर आगमन भत्ता देय है :– छात्रावास प्रवेश के प्रथम वर्ष में 500 रूपये छात्रावास प्रवेश के द्वितीय वर्ष में 250 रूपये छात्रावास प्रवेशके तृतीय वर्ष में 200 रूपये 2. पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में विद्युत व्यय की पूर्ति हेतु प्रति छात्र प्रतिमाह 25 यूनिट का व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है ।	1. इच्छुक छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं।ढ ध्यछज्झ 2. पिछले वर्ष के छात्र–छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता । 3. शेष स्थानों के लिए प्रवेश समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर पर प्रवेश दिया जाता है ।	–	–	–
122	आदिवासी विकास	दिल्ली में हायर एजुकेशन की सुविधा	–	इस योजना का उददेश्य मध्यप्रदेश के ऐसेअनुसूचितजनजातिछात्र–छात्राओं के लिए आवासीय एवं अन्य सुविधाऐं जैसे पानी, बिजली के खर्च की प्रतिपूर्ति और शिष्यवृत्ति आदि की सुविधाऐं उपलब्ध कराना है, जो दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत है ।	1ण् मध्यप्रदेश का मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश की घोषित अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है । 2. वे हीछात्र–छात्र एंपात्र होंगी जिन्होंने मध्यप्रदेश की ही किसी शाला से 10+2 बोर्ड परीक्षा से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो । यह परीक्षा चाहे केन्द्रीय बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) से या मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की गई हो। 3. स्नातक (प्रथम वर्ष अथवा उससे ऊपर की कक्षाओं या व्यवसायिक पाठयक्रमों में सरकारी या मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत /प्रवेशित होना अनिवार्य होगा । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्र ता होना अनिवार्य है ।	विद्यार्थियों को देय सुविधाऐं किराया :– संस्था द्वारा निर्धारित किराया राशि या 1000 रूपये जो भी न्यूनतम हो । पानी एवं विद्युत व्यय – प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी 100 रूपये 12 माह हेतु शिष्यवृत्ति :–प्रति माह प्रति विद्यार्थी 500 रूपये– 12 माह हेतु एक मुश्त अनुदान – प्रवेश के समय केवल एक बार 2000 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी विद्यार्थी द्वारा देय राशि पानी तथा बिजली की प्रतिपूर्ति के लिए 100 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा । पानी तथा बिजली की राशि यदि 100 रूपये प्रति माह से अधिक होगी तो, अतिरिक्त व्यय विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगा ।	–	–	प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जायेगा । 2. इस योजना का लाभ लेने के लिएछात्र/छात्राओं को संबंधित संस्था के माध्यम से निर्धारित आवेदनपत्र विशेष आयुक्त (स्पेशल कमिश्नर) मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली को देना अनिवार्य होगा।
123	आदिवासी विकास	एट्रोसिटी एक्ट 1989 के अंतर्गत राहत	–	अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीडन जैसे हत्या, बलात्कार, लज्जा भंग, अपमान अभित्रास जैसी घटनाएं होने पर उनका सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास	अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीडन जैसे हत्या, बलात्कार, लज्जा भंग, अपमान अभित्रास जैसी घटनाएं होने पर उनका सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास करने के उदेश्य से मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत आर्थिक सहातयता राशि उपलबध कराई जाती है.	वर्ष 2006–07 में 1142 पीडित महिलाओं को रूपये 375.02 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है.	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
124	आदिवासी विकास	पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप (राज्य)	–	पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप (राज्य)	1. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों की शालाओं में अध्ययनरत कन्याओं को कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक विभिन्न स्तरों पर निर्धारित दर पर राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. वर्ष 2006–07 में कक्षा 1 से 5 तक की विशिष्ट छात्रवृत्ति अंतर्गत रूपये 1232.76 लाख व्यय किये जाकर 8,22,514 छात्राओं को लाभान्वित किया गया. इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 1400.00 लाख का प्रावधान किया गया हैं.	–	–	–	–
125	आदिवासी विकास	पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप	–	पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप	भारत शासन द्वारा निर्धारित दरों पर अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति कन्याओ हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. योजनान्तर्गत 30 प्रतिशत से अधिक की राशि बालिकाओं को वितररित की जाती है.	–	–	–	–
126	आदिवासी विकास	व्यवसायिक परीक्षा मंडल की फीस की प्रतिपूर्ति	–	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को की जाती है ।	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है । वार्षिक आय 12000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये ।	–	सभी	–	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है । वार्षिक आय 120001 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये ।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
127	आदिवासी विकास	प्रत्येक जिले व ब्लाक में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	–	राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001–2002 से राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावानछात्र–छात्राओं को उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा देने छात्र–छात्र ाओं को निदानात्मक एवं विशेष कोचिंग के माध्यम से प्रावीण्य को बढ़ाने के उददेश्य सेउत्कृष्टताशिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है ।	प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए एक बालक एवं एक बालिका केन्द्र स्थापित किये गये है । अब विकासखण्ड मुख्यालयों पर भी उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं । वर्ष 2003–2004 में 20 विकासखण्ड मुख्यालयों पर संचालित एक बालक तथा एक कन्या छात्रावास को उत्कृष्टता शिक्षा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया गया है । वर्ष 2004–2005 में 20 आदिवासी विकासखंड़ मुख्यालयों पर एक–2 बालक, एक–2 कन्या प्री मैट्रिक छात्र ावास को उत्कृष्टता शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित करने की शासन स्वीकृति जारी की गई है। वर्ष 2005–2006 में इन केन्द्रों में 7830 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया । वर्ष 2005–2006 में 40 उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाकर संचालित किये जा रहे हैं । वर्ष 2006–2007 में 38 नवीन विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं । कुल 216 उत्कृष्टता केन्द्र संचालित किये जारहे हैं जिसके माध्यम से 10800 विद्यार्थियों को लाभांवित किया जारहा है।	1. उत्कृष्ट संस्थान के छात्रावास में वे समस्त सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेगी, जो सामान्य छात्रावास में उपलब्ध कराई जाती है, इसके अतिरिक्त निम्नांकित सुविधाऐं भी छात्र ावास में उपलब्ध कराई जायेगी। (अ) लायब्रेरी (ब) कम्प्यूटर (स) विशेष कोचिंग (द) , पौष्टिक आहार या मनोरंजन एवं खेल कूद की व्यवस्था । (ग) दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रि काऐं ।	सभी जिला मुख्यालय	–	1.छात्र–छात्राओं को मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है । 2.कक्षा 9वीं से 12 वीं तक केछात्र–छात्र ाओं को प्रवेश तथा 11वीं में केवल विज्ञान एवं वाणिज्य विषयकेछात्र–छात्र ा को प्रवेश दिया जायेगा । 3.कक्षा 8वीं एवं 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर मेरिट सूची अनुसार दिये जावेगा । 4.नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की प्रावीण्य सूची अलग–अलग बनाई जाकर अधिकतम 30 प्रतिशत से नगरीयछात्र–छात्र ाओं से भरी जायेगी । 5.छात्र–छात्राओं का किसी स्थानीय मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश अनिवार्य होगा । 6. अनुत्तीर्णछात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
128	आदिवासी विकास	अंग्रेजी शिक्षण के लिये जिले में केन्द्रों की स्थापना	–	अंग्रेजी शिक्षण के लिये जिले में केन्द्रों की स्थापना	विषय विशेषज्ञों को 200/– प्रति काल खण्ड के मान से मानदेय दिया जायेगा काल खण्ड की न्यूनतम अवधि एक घंटा होगी । (माह में कम से कम 20 काल खण्ड लिये जाना आवश्यक होगा) 2.2 यह कोचिंग संबंधित छात्रावास में ही संचालित की जावेगी । 2.3 प्रति छात्र–छात्रा स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री कय करने हेतु अधिकतम 500/– रूपये व्यय किया जा सकेगा । यह व्यय एक शैक्षणिक सत्र (10 माह) हेतु होगा । 2.4 यह राशि छात्र/छात्राओं के उनके बैंक एकाउण्ट में बैंक के माध्यम जमा कर भुगतान की जावेगी । इस राशि से छात्र–छात्रायें आवश्यकतानुसार स्टेशनरी एवं पाठ्य सामग्री का कय कर सकेंगे । पाठ्य सामग्री में एक बड़ा शब्दकोष (अंग्रेजी) एक ग्रामर की पुस्तक, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पुस्तक खरीदना आवश्यक होगा । 2.5 कोचिंग व्यवस्था 1 जुलाई अथवा छात्र/छात्राओं के छात्रावास में वास्तविक रूप से प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभ होगी ।	–	–	–	प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्र–छात्राऐं जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कक्षा 11 वीं अथवा उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हों एवं विभागीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत हों, इस योजना के लिये पात्र होंगे ।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
129	आदिवासी विकास	एस.टी. छात्रों को ओवरसीज स्कालरशिप	–	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों /शोध –उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शौध उपाधि उपरांत शौध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना । अनुसूचित जनजाति हेतु प्रतिवर्ष 10 छात्र वृत्तियां प्रदान की जाती है	–	शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उनके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) अनु. जनजातियों हेतु 50 प्रतिशत-अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शौध उपाधि (पी.एच.डी.) (ब) शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (अनुसूचित जनजाति हेतु 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी) एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन /शोध /व्यवसायिक अनुभव/एम.फिल उपाधि (स) स्नातकोत्तर उपाधि हेतु स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी ग्रेड (अनु.जनजातियों के लिए 55 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी)	–	–	आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की एक जनवरी को 35 वर्ष से कम विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षो तक शिथिलनीय । आय–सीमा :– नियोजित उम्मीदवार की अथवा उसके माता–पिता /अभिभावक की सभी श्रोतों से कुल आय रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । एक परिवार में एक अभ्यार्थी एवं एक बार छात्रवृत्ति की पात्र ता होगी । वित्तीय सहायता :– वित्तीय सहायता की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप और तदनुसार समय–समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
130	आदिवासी विकास	ऑल इंडिया/राज्य सेवा के छात्रों को इन्सेन्टिव	–	ऑल इंडिया/राज्य सेवा के छात्रों को इन्सेन्टिव	राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति कन्याओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है, यह योजना वर्ष 2003–04 से स्वीकृत की गई है, इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तर पर कन्याओं को– 1 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रूपये 40,000/– 2 मुख्य परीक्षा उत्तीण। करने पर रूपये 60,000/– 3 चयन होने पर रूपये 50,000/– की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तर पर होने वाली अनुसूचित जनजाति के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 1.20 लाख से अधिक न हो, को 1 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रूपये 20,000/– 2 मुख्य परीक्षा उत्तीण। करने पर रूपये 30,000/– 3 चयन होने पर रूपये 25,000/– की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
131	आदिवासी विकास	पोस्ट मैट्रिक हास्टल के छात्रों को अंग्रेजी कोचिंग	–	प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्र–छात्राएँ जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कक्षा 11 वीं अथवा उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हों एवं विभागीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत हों, इस योजना के लिये पात्र होंगे ।	योजना का कियान्वयन निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा :– 2.1 विषय विशेषज्ञों को 200/– प्रति काल खण्ड के मान से मानदेय दिया जायेगा काल खण्ड की न्यूनतम अवधि एक घंटा होगी । (माह में कम से कम 20 काल खण्ड लिये जाना आवश्यक होगा) 2.2 यह कोचिंग संबंधित छात्रावास में ही संचालित की जावेगी । 2.3 प्रति छात्र–छात्रा स्टेश्नरी और पाठ्य सामग्री क्रय करने हेतु अधिकतम 500/– रूपये व्यय किया जा सकेगा । यह व्यय एक शैक्षणिक सत्र (10 माह) हेतु होगा । 2.4 यह राशि छात्र/छात्राओं के उनके बैंक एकाउण्ट में बैंक के माध्यम जमा कर भुगतान की जावेगी । इस राशि से छात्र–छात्रायें आवश्यकतानुसार स्टेशनरी एवं पाठ्य सामग्री का क्रय कर सकेंगे । पाठ्य सामग्री में एक बड़ा शब्दकोष (अंग्रेजी) एक ग्रामर की पुस्तक, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पुस्तक खरीदना आवश्यक होगा । 2.5 कोचिंग व्यवस्था 1 जुलाई अथवा छात्र/छात्राओं के छात्रावास में वास्तविक रूप से प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभ होगी ।	–	–	–	–
132	आदिवासी विकास	आश्रम/हास्टल में प्रसाधन किट	–	आश्रम एवं छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में साफ–सफाई से रहने के लये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक आर्थिक सहयोग प्रदान करना ।	योजनान्तर्गत विभागीय आश्रम, एवं प्री–मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रसाधन किट प्रदाय किये जायेंगे । इस प्रसाधन किट में विद्यार्थी के नित्य उपयोग के लिये टूथब्रुश, टूथ पाउडर, पेस्ट, नेलकटर, साबुन, तेल कंघी, व सुई धागे जैसे छोटी परन्तु उपयोगी वस्तुऐं होंगी ।	विभागीय प्री मैट्रिक छात्रावास तथा आश्रमों में प्रवेशित समस्त विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होंगे । योजना के प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को प्रसाधन किट प्रदाय किया जायेगा । इसके पश्चात् आगामी वर्ष में प्रवेशित नवीन विद्यार्थी ही इसके पात्र होंगे ।	–	–	प्रसाधन किट के लिये वित्तीय व्यवस्था छात्रावास /आश्रम मद में सामग्री पूर्ति मद से की जावेगी । जिले के लिये आवश्यक प्रसाधन किट का क्रय जिला स्तर पर कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित क्रय समिति द्वारा किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
133	उद्योग	बीमार यूनिट के लिये मार्जिन मनी	--	यह योजना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत केवल लघु श्रेणी औद्योगिक इकाईयों/सहायक इकाईयों एवं गैर--बी.आई.एफ.आरऔद्योगिक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. के लिए अपात्र) जिनके संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में कुल पूंजी विनियोजन रुपये 5.00 लाख से अधिक होगा, पर लागू होगी। सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यमों के लिए योजना लागू नहीं होगी।	जिन लघु उद्योग, सहायक उद्योग, गैर--बी. आई.एफ.आर. बीमार औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिएमध्यप्रदेश शासन सिद्धांततः सहमत हो, उन्हें तद्नुसार निम्न राहत एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि एवं शासन व इसकी संस्थाओं को होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति की व्यवस्था वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के बजट में प्रावधान कर की जावेगी। राहत प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या, उस वर्ष विशेष में उपलब्ध आवंटन के अनुसार सीमित की जाएंगी। 6.1 वित्तीय सहायता -- योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों/ संस्थाओं से निम्नानुसार रियायतें/सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। 6.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग -- इकाई को वणिज्यिक कर की बकाया कर राशि अर्थात असेस्ड टैक्स को बिना ब्याज/शास्ति के 36 समान मासिक किश्तों अथवा 12 त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी।	मध्यप्रदेश प्रदेशेश राज्य विद्युत मण्डल योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निम्नानुसार राहतें प्रदान की जावेगी:-- अ. इकाई की बंद अवधि का न्यूनतम प्रभार माफ किया जाएगा किंतु ऐसे प्रकरणों में जिनमें इकाई ने राशि पूर्व से जमा कर दी है, उसमें न्यूनतम प्रभार की राशि वापस नहीं की जावेगी। ब. ऐसे प्रकरणों में जहां पर देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेद हुआ हो अथवा एकतरफा अनुबंध निरस्त हुआ हो उस स्थिति में नवीन सुरक्षा निधि जमा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। स. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को देय विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। द. इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को बकाया राशि पर देय ब्याज माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु पुनर्संयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज को माफ किया जाएगा। ई. इकाई पर म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लगाये गये पैनल चार्जेज की माफी दी जा सकेगी।	--	--	--

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
134	उद्योग	रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना	1 अप्रैल 2003	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को वरोजगार के रूप में उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण,वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहायता व सघन अनुसरण भी सम्मिलित है।	1. साक्षात्कार के माध्यम से प्रथमतः आवेदक के उद्यम का प्राथमिक चयन। 2. चयनित आवेदक को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो तदानुसार सामान्य/तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उसका अनुसरण। 3. यदि आवेदक को प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है तो उसके उद्यम की सहायता हेतु पहल । 4. कमांक 2 में उल्लेखित आवेदक यदि प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित उद्यम में यदि परिवर्तन चाहता है तो आवश्यक सहायता । 5. आवश्यकतानुसार तकनीकी/विपणन/वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग देना। 6. हितग्राही से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना। चयनित प्रत्येक हितग्राही के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभाग के प्रबधक/सहायक प्रबंधक को सहायता देने के लिए अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जावेगा। जो प्रारम्भ से ही समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र पूर्ण करने, प्रकरण वित्तीय संस्थाओं को भेजने, वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु पूर्ण सहयोग रखेगा। तथा प्रशिक्षण के समय भी पूर्ण सम्पर्क में रहेगा।	इस योजना के अन्तर्गत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो:- • म.प्र. का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति का हो।(राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र हो)। • उम्र 18 से 50 वर्ष हो। • किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। • हितग्राही द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ नही उठया गया हो। • आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रू. 3 लाख से अधिक न हो। • इस योजना का लाभ दो या दो से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को साझेदारी/कम्पनी के रूप मे दिया जा सकता है। कम्पनी/साझेदार अनुसूचित जाति या जनजाति किसी एक ही वर्ग के होना चाहिये। टीप- परिवार से आशय आवेदक/आवेदिका के पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चे अथवा आवेदक/आवेदिका के अविवाहित होने पर उसके माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन से है।	सभी	--	आवेदको का चयन "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर किया जावेगा। सभी आवेदक सूचीबद्ध किये जायेगे। आवेदको का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा।
135	उद्योग	बीमार छोटे उद्योगों का पुनर्द्धार	–	रुग्ण उद्योगों को चिन्हित करने की सरल प्रणाली विकसित की जाएंगी एवं जिला स्तर पर इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा।	बीमार औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय एवं अन्य रियायतें देने के लिए तथा बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने के लिए सुविधाओं का विशेष पैकेज एवं बीमार लघु उद्योगों के लिये पुनर्जीवन योजना तैयार की जाएगी	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
136	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	टैक निर्माण हेतु सहकारी समितियों को सहायता/कैरोसिन को स्टोर करने के लिये ड्रम की खरीद	–	टैक निर्माण हेतु सहकारी समितियों को सहायता/कैरोसिन को स्टोर करने के लिये ड्रम की खरीद	भारत सरकार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट जन केरोसीन परियोजना दिनांक 2.10.2005 से लागू की गई है। प्रदेश में 48 जिलों में से 25 जिलों के 31 विकासखण्डों का चयन किया गया है।चयनित विकासखण्डों में से 28 विकासखण्डों में जन केरोसीन परियोजना संचालित है।इस परियोजना अतंर्गत संचालित स्थानों में आयल कम्पनी के डीलर्स अपने कारोबार स्थल पर केरोसीन भूमिगत् टैंक में प्राप्त करके डिस्पेंसिंग यूनिट से प्रदाय करते है। यह केरोसीन ड्रमों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान तक पहुचानें का प्रावधान है। इस परियोजना में 18 स्थानों पर आयल कम्पनी के निजी थोक डीलर तथा 10 स्थानों पर म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन थोक डीलर के रूप में कार्यरत् है।	–	–	–	–
137	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	आयोडाइजड नमक की बिक्री	–	आयोडाइजड नमक की बिक्री	प्रदेश के 19 जिलों में 89 विकासखण्ड के अंतर्गत आयोडीनयुक्त नमक का वितरण का कार्य म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2006–07 में राशि रू. 5,00,00,000/– का आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत प्रावधान स्वीकृत है।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
138	शहरी प्रशासन	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	–	इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम और लक्ष्य निम्नानुसार है:– 1.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है ।	शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है । इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड इस समय प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रू. 522. 64 से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 9,22,000 है । स्वरोजगार के लिए रू. 50,000 तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम रू. 7,500 अनुदान दिया जाता है । 80 प्रतिशत ऋण बैंक देते है और 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगानी होती है ।	स्वरोजेजगार कार्यक्रम में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत निःशक्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश है । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किए जाने के निर्देश है । 1.4 हितग्राहियों के कौशैशल उन्नयन के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है जिनमें रू. 2,000 प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है । प्रशिक्षण अवधि कम से कम 300 घण्टे होना चाहिए । 1.5 महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम में कम से कम 10 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रू.1.25 लाख या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है और शेष राशि ऋण के रूप में बैंक से मिलती है ।	–	–	स्वरोजेजगार कार्यक्रम में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत निःशक्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश है । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किए जाने के निर्देश है ।
139	शहरी प्रशासन	स्वीपर्स के लिये समूह बीमा योजना	1 अप्रैल 1998	प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना दिनांक 1.4.1988 से प्रारंभ की गई है ।	1 अप्रैल 2006 से निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कामगारों के वेतन से रूपये 60/– वार्षिक और राज्य शासन का अंशदान रूपये 180/– वार्षिक की कटौती राज्य शासन के आदेशानुसार प्रारंभ की जा चुकी है और सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 25,000/– और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 50,000/– की राशि नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान के प्रावधान किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में अप्रैल, 2007 से दिसम्बर 2007 तक कुल 90 सफाई कामगारों को उनकी मृत्यु उपरांत नामित व्यक्तियों को राशि रूपये 16,70,000/– का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है ।	–	सभी	–	अब इस योजना के अन्तर्गत सफाई कामगारों के वेतन से माह दिसम्बर, 2007 से रूपये 120/– वार्षिक और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360/– वार्षिकी की कटौती आरंभ की गई है । इस प्रकार सफाई कामगारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए माह जनवरी,2008 से सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 25,000/– के स्थान पर रूपये 50,000/– और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 50,000/– के स्थान पर रूपये 1,00,000/– संबंधित दावेदार को भुगतान करने के प्रावधान किये गये हैं ।

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व क्रियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
140	शहरी प्रशासन	ए.डी.बी. परियोजना	–	योजना का मुख्य उद्देष्य इन शहरों में पर्यावरण,अधोसंरचना एवं सेवाओं में सुधार जैसे: जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, मल–जल निकासी प्रणाली, मल–जल शोधन संयत्र लगाने,ठोस अपषिष्ट प्रबंधन आदि के साथ–साथ जन भागीदारी तथा सामुदायिक विकास करना है।	एषियाई विकास बैंकैंक सहायतित परियोजेजना – षरियोजेजना उदयः 1.1 प्रदेष के प्रमुख शहरों में पेयजल आवष्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एषियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एव जबलपुर षहरो को चुना गया है।	जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरणीय सुधार संबंधी जागरूकता हेतु प्रिंट और दृष्यश्रव्य सामग्री का निर्माण एवं सूचना, षिक्षा व प्रसार गतिविधियों जैसे:– ब्रोषर, पेम्पलेट्स, ऑडियो स्किट व जिंगल, सजीव फोन–इन कार्यक्रम, टॉक शो, वृत्तचित्र, प्रष्नोत्तरी, नुक्कड नाटक, प्रदर्षनी, रैली, चकाचक अभियान, चलित वाहन, जन प्रतिनिधियों हेतु कार्यषालाएं आदि का आयोजन किया गया ।	–	–	–
141	शहरी प्रशासन	देवास सिटी का (टी.एफ.सी. के अंतर्गत) विकास	–	देवास सिटी का (टी.एफ.सी. के अंतर्गत) विकास	देवेवास शहर के विकास के लिये बनाई गई कार्य योजना में देवास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :– (रू. लाख में) 1 2.25 एम.एल.डी. नागदा वाटर सप्लाय स्कीम 276.00 2 5.00 एम.एल.डी. राजानल वाटर सप्लाय स्कीम 548.75 3 देवास शहर के नालों का निर्माण 559.25 4 सडकों का निर्माण 616.00 5 देवास शहर में पाईप लाईन विस्तार 500.00 योग 2500.00 इस योजना में वर्ष 07–08 में भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में रुपये 1.56 करोड़ प्राप्त हुए है जो नगर निगम देवास को उपलब्ध कराया जायेगा ।	–	–	–	–
142	शहरी प्रशासन	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	–	भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :– 1. इंदौर 2. भोपाल 3. जबलपुर 4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)	मिशन शहरों के निम्नानुसार सिटी डेवेवेलपमेंटेंट प्लान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये है :– कमांक शहर परियोजना राशि (रूपयों में) 1 इंदौर 2745.75 करोड़ 2 भोपाल 2153.00 करोड़ 3 जबलपुर 1929.00 करोड़ 4 उज्जैन 1237.73 करोड 2.5 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक विभिन्न शहरों की रूपये 1552.85 करोड़ की लागत की कुल 33 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ।	भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यकमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है । मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यकमों को पहले ही लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है ।	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलों का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रक्रिया का विवरण
143	शहरी प्रशासन	राष्ट्रीय सूचना सिस्टम योजना	--	भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 137 शहरों में जी.आई.एस. डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से "नेशनल अर्बन इन्फारमेशन सिस्टम" (एनयूआईएस) योजना लागू की गयी है । इसके अतिरिक्त 24 शहरों में यूटीलिटी मेंपिंग का कार्य भी लिया गया है ।	इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन किया गया है :– 1. देवास 2. ग्वालियर 3. जबलपुर 4. सागर 5. सतना 6. उज्जैन 7. भोपाल (यूटीलिटी मेंपिंग के लिये) 4.2 योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो के लिये भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा ।	उपकरणों आदि के क्रय पर होने वाला व्यय 64:36 के अनुपात में केन्द्र /राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना है । 4.3 योजना के कियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश को राज्य स्तरीय नोडल ऐजेन्सी मनोनीत किया गया है । योजना के पर्यवेक्षण के लिये प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है । 4.4 योजनान्तर्गत राज्यांश के लिये रूपये 10.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2007–08 के विभागीय बजट में किया गया है ।	–	–	–
144	शहरी प्रशासन	समन्वित आवास स्लम विकास कार्यक्रम	–	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में लागू की गई है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए गंदी बस्तियों का विकास करना है ।	यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए चयनियत मिशन शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है । भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 2008 तक रूपये 24188.02 लाख लागत की 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत परियोजनाओं के तहत 16795 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास किया जाएगा ।	–	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
145	हरी प्रशासन	मध्यान्ह भोजन	–	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मेनू में रोटी, सब्जी, दाल और चावल, दाल सब्जी दिया जाता है । गेंहू प्रचलन क्षेत्र में रूपये 2.00 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन (गेंहू/ चावल छोडकर) भोजन पकाने, मसाला आदि सामग्री पर व्यय निर्धारित किया गया है । भारत सरकार द्वारा रूपये 1.50 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के मान से और राज्य सरकार द्वारा रूपये 0.50 प्रति विद्यार्थी प्रति दिन के मान से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में व्यय किया जावेगा	भोपाल, जबलपुर और इन्दौर में नॉदी फाउन्डेशन हैदराबाद संस्था द्वारा शहरी क्षेत्रों के शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त विद्यालयों में भोजन वितरण किया जा रहा है । उज्जैन नगर सीमा में "इस्कान" संस्था द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है । भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और उज्जैन के लिये खाद्य सामग्री के परिवहन हेतु रूपये 0.14 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है । वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2007 तक समस्त नगरीय निकायों को रूपये 890.67 लाख आवंटन दिया जा चुका है ।	गेंहू प्रचलन क्षेत्र में रूपये 2.00 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन (गेंहू/ चावल छोडकर) भोजन पकाने, मसाला आदि सामग्री पर व्यय निर्धारित किया गया है । भारत सरकार द्वारा रूपये 1.50 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के मान से और राज्य सरकार द्वारा रूपये 0.50 प्रति विद्यार्थी प्रति दिन के मान से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में व्यय किया जावेगा	–	–	–

मध्य प्रदेश शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी

कम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	उद्देश्य	स्वरूप, रूपरेखा व कियान्वयन विधि का विवरण	हितग्राही/समुदाय हेतु प्रावधान	जिलो का आच्छादन	इकाई लागत	हितग्राही चयन हेतु प्रकिया का विवरण
146	शहरी प्रशासन	मध्यप्रदेश शहरी गरीबों के लिये सेवाये	–	प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों में डी.एफ.आई.डी.सहायतित "गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम" का कियान्वयन माह सितम्बर 06 से प्रारंभ किया गया है ।	लगभग रूपये 350.00 करोड़ की लागत से कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो में चयनित शहरों में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किये जायेगें :– 1. शहरी गरीबों को भागीदार बनाते हुए नगर नियोजन द्वारा प्रबंधन की प्रकिया को कार्यरूप देना । 2. लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गंदी बस्तियों में पर्यावरण अधोसंरचना में सुधार की प्रकिया लागू करना और इससे गरीबों को सुविधाओं के संधारण और संचालन में भागीदार बनाना ।3. राज्य और नगर पालिका स्तर पर शहरी गरीबों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिये सशक्त संस्थागत ढांचा तैयार करना । .4. शहरों को उनके विकास और वृद्धि दर के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिये बेहतर नीतिगत, वैधानिक और संस्थागत वातावरण तैयार कराना ।5. शहरी गरीबों को पीने का साफ पानी और स्वच्छता सहित बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने में सहयोग देना। 6. राज्य तथा नगर पालिक निगमों को उनके कार्यो के प्रति उत्तरदायी, प्रभावी और जनमानस की आवश्यकताओं के प्रति पारदर्शी तथा सहभागी बनाने हेतु उनके अमले का दक्षता उन्नयन । 7. गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रथम चरण में लिये जाने वाले कार्यो की पहचान	–	–	–	–